# छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

**पिछड़े वर्गों के हित-संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कृत संकल्पित**

# अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन

**(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)**

शहीद भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)
फोन: 0771-2420352, 2429967, 2429968
Website : www.cgobc.com, E-mail : secy.obc.cg@gmail.com

**विष्णु देव साय**
मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन



मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002
फोन : +91(771) 2221000, 2221001
ई-मेल : cmcg@nic.in

Do. No 1920 Date : 18.08.2025

# संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन राज्य में पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु लागू की गई योजनाओं और किए गए प्रयासों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

आयोग राज्य के पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु लगातार प्रयासरत है। राज्य में समावेशी न्याय और समानता की दिशा में आयोग द्वारा किए गए प्रयास महत्वपूर्ण हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन आयोग के कार्यों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करेगा तथा भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगा।

मैं आयोग के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रकाशन अपने लक्ष्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करे, इन्हीं शुभकामनाओं सहित।

(विष्णु देव साय)

**रामविचार नेताम**
मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) 492002
कक्ष क्रमांक एम-3-1, मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
फोन (मंत्रालय): 0771-2221223, 2510223

अर्द्ध. शा. पत्र क्रमांक 416/VIP दिनांक 04.08.2025

# संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन आयोग की कार्ययोजना, उसकी उपलब्धियों तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण हेतु किए गए प्रयासों का सारगर्भित दस्तावेज है।

पिछड़ा वर्ग समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। आयोग ने समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के निवारण के साथ-साथ सुझाव, अनुशंसाएँ एवं शोध के माध्यम से नीति निर्माण में सहयोग प्रदान किया है, जो निःसंदेह सराहना के योग्य है।

राज्य सरकार सामाजिक समरसता, समान अवसर एवं न्याय सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है। इस दिशा में आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण प्रतिवेदन के प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आयोग भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता एवं उत्साह के साथ कार्य करता रहेगा।

(रामविचार नेताम)

**नेहरू राम निषाद**
अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा)
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्या. : शहीद भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड,
रायपुर (छ.ग.) 492001
निवास : ग्राम-बारना, तहसील-धमतरी,
जिला- धमतरी (छ.ग.) 493663
फोन : 0771-2429968
मोबाइल - 6264597078


अर्द्धशास. पत्र क्रमांक 16/2025 दिनांक 28.07.2025

---

# संदेश

मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 का अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन आयोग के विविध कार्यों, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का समग्र लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है तथा राज्य के पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु किए गए सतत प्रयासों का दस्तावेज है।

हमारा देश समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। इन्हीं मूल्यों को सार्थक करते हुए आयोग ने राज्य के पिछड़ा वर्ग समुदायों की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर कार्य किया है। हमारी प्राथमिकता रही है कि इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में समुचित स्थान मिले, उन्हें उनके अधिकारों की संपूर्ण प्राप्ति हो तथा उन्हें अवसरों की समानता सुनिश्चित की जा सके।

विगत वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जनसुनवाई, अध्ययन, अनुशंसा, सलाह आदि के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए इन प्रयासों की एक झलक इस प्रतिवेदन में परिलक्षित होती है। आयोग को जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा नागरिकों के सहयोग से हम भविष्य में भी और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, इस विश्वास के साथ मैं सभी संबंधितों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से हम राज्य सरकार, नीति-निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों को एक उपयोगी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं, जो आगामी निर्णयों एवं नीतियों के निर्धारण में सहायक सिद्ध होगा।

अंत में, मैं आयोग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सतत परिश्रम और समर्पण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि हमारा यह प्रयास पिछड़ा वर्ग समाज के समग्र विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

(नेहरू राम निषाद)

**श्रीमती चन्द्रकान्ति वर्मा**
उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा)
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्या. : शहीद भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड,
रायपुर (छ.ग.) 492001
निवास : ग्राम-टेकारी, पोस्ट-मांढर कालोनी,
जिला- रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-2429967
मोबाइल - 9584800572, 9981972058


अर्द्धशास. पत्र क्रमांक 03/2025 दिनांक 30.07.2025

# संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 का अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिसमें आयोग की गतिविधियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का समग्र प्रस्तुतीकरण समाहित किया गया है।

यह प्रतिवेदन न केवल आयोग द्वारा सामाजिक न्याय एवं समानता की दिशा में किए गए प्रयासों का दर्पण है, अपितु यह आने वाले वर्षों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाएगा। आयोग द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु की जा रही पहल अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायी है।

मेरा विश्वास है कि यह प्रतिवेदन नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं तथा जनसामान्य के लिए एक उपयोगी दस्तावेज सिद्ध होगा तथा इससे सामाजिक समरसता एवं समावेशी विकास को और अधिक बल मिलेगा।

इस महत्वपूर्ण प्रयास में सहयोग करने वाले समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबद्ध व्यक्तियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ एवं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ।

(श्रीमती चन्द्रकान्ति वर्मा)

सोनमणि बोरा(I.A.S.)
प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) 492002
अर्द्ध शास. पत्र क्र. 52
दिनांक 03.10.2025

# संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 का अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है। आयोग द्वारा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं।

पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह प्रतिवेदन न केवल आयोग की उपलब्धियों और कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है, बल्कि भविष्य की कार्ययोजना के लिए भी एक दिशासूचक का कार्य करेगा।

मैं आशा करता हूँ कि आयोग इसी तरह अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ कार्य करता रहेगा तथा समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता रहेगा।

इन्ही शुभकामनाओं सहित...

(सोनमणि बोरा)

**डॉ. सारांश मित्तर** (I.A.S.)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

कार्या. : आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास
इंद्रावती भवन नवा रायपुर,
अटल नगर, (छ.ग.) 492002

## संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 18 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 प्रकाशित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन आयोग द्वारा सामाजिक न्याय एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण की दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों का प्रतिबिंब है।

आयोग निरंतर पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इससे न केवल नीति-निर्माताओं को लाभ मिलता है, बल्कि सामाजिक समावेशन की दिशा में ठोस प्रगति भी सुनिश्चित होती है।

मैं आशा करता हूँ कि आयोग भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा और प्रदेश के पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।

इस वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन एवं सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ...।

**(डॉ. सारांश मित्तर)**

**संकल्प साहू**
सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्या. : शहीद भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड,
रायपुर (छ.ग.) 492001
फोन : 0771-2420352

# प्राक्कथन

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय-4 के कंडिका 14 के अंतर्गत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 प्रस्तुत कर रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा शासन द्वारा उनके हित में किये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन की निगरानी एवं उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। राज्य का पिछड़ा वर्ग समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक बने एवं उन अधिकारों का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें ऐसी यथार्थवादी मंशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रही है।

अन्य पिछड़ा वर्गो को राज्य एवं केन्द्र की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में चयन बाबत पृथक-पृथक आरक्षण का प्रतिशत राज्य में लागू है अतः राज्य में पिछड़ा वर्ग की दो प्रकार की सूचियाँ एक राज्य स्तरीय एवं दूसरी केन्द्रीय स्तरीय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जारी की गई है। आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को राज्य एवं केन्द्र की सूची में समावेशन हेतु अध्ययन/अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग द्वारा गठन उपरांत कुल 41 से भी अधिक जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में समावेशित किया गया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की पिछड़ा वर्ग की राज्य की सूची में 95 जातियाँ समावेशित है एवं छत्तीसगढ़ की केन्द्रीय सूची में कुल 67 जातियाँ समावेशित है।

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग हित संरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों एवं रक्षापायों से वंचित किये जाने संबधी शिकायतों का पंजीकरण, परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत कार्यवाही करता है, जिसके लिए आयोग को सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है। आयोग पिछड़ा वर्ग के हित बाधित करने संबधी शिकायतों पर कार्यवाही उपरांत सुधार हेतु अनुशंसा/सुझाव प्रेषित करता है। आयोग की प्रेषित अनुशंसाएँ एवं सुझाव प्रतिवेदन में प्रकाशित की जा रही है।

राज्य शासन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु जारी शासन के दिशा-निर्देश भी प्रतिवेदन में संकलित कर प्रकाशित किये जा रहे हैं एवं जन सामान्य की सुविधा हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य एवं केन्द्र की सूची एवं क्रीमीलेयर के मापदण्ड तथा सामाजिक प्रास्थिति के निर्धारण हेतु अधिनियम का प्रकाशन भी प्रतिवेदन में किया जा रहा है। आयोग द्वारा वर्ष पर्यन्त 2024-25 में जो गतिविधियाँ संपादित की गई उनका छायाचित्र एवं विवरण इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मान. अध्यक्ष महोदय एवं मान. उपाध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन में उनके व्यापक अनुभव का लाभ आयोग को प्राप्त हो रहा है। जिसके फलस्वरूप आयोग को प्राप्त शिकायतों एवं जाति के प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयी है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्याय प्राप्ति में पारदर्शिता एवं सुलभता प्राप्त हो रही है।

आशा है छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रकाशित अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पिछड़े वर्ग के विकास की अवधारणा का मूर्त स्वरूप प्रदान करने में खरा उतरेगा।

(संकल्प साहू)

# अनुक्रमणिका


| क्र. | | विषय सूची | पृष्ठ क्र . |
|---|---|---|---|
| 1. | अध्याय-1 | छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संक्षिप्त विवरण एवं पद संरचना | 01-03 |
| 2. | अध्याय- 2 | छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के प्रमुख प्रावधान (कार्य एवं शक्तियाँ) | 04-06 |
| 3. | अध्याय- 3 | आयोग में संज्ञेय एवं असंज्ञेय मामले | 07-08 |
| 4. | अध्याय- 4 | अनुसंधान-डेस्क (जाति समावेशन/विलोपन का अनुसंधान विवरण) | 09-16 |
| 5. | अध्याय- 5 | शिकायत-डेस्क (आयोग को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही) | 17-22 |
| 6. | अध्याय- 6 | सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण | 23-26 |
| 7. | अध्याय- 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य एवं केन्द्रीय सूची | 27-57 |
| 8. | अध्याय- 8 | छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) नियम 2013 | 58-74 |
| 9. | अध्याय- 9 | छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 एवं गठन संबंधी आदेश | 75-96 |
| 10. | अध्याय- 10 | आयोग के प्रयास एवं उपलब्धियाँ | 97-107 |
| 11. | अध्याय- 11 | पिछड़ा वर्ग से संबंधित शासन के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश | 108-133 |
| 12. | अध्याय- 12 | आयोग का लेखा-जोखा | 134-135 |
| 13. | अध्याय- 13 | छपते-छपते | 136-137 |

# पृष्ठभूमि

भारत का संविधान लोक कल्याण के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समन, एवं बंधुत्व समाहित किये गये हैं। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग का हित संरक्षण एवं हित संवर्धन प्रदान करने हेतु संविधान के तहत विभिन्न अनुच्छेद शामिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ भारतीय संविधान द्वारा जो प्रमुख संवैधानिक अधिकार प्रदत्त किये गये है उनका सारगर्भित विवरण सरल भाषा में प्रस्तुत है :-

अनुच्छेद :-

**14. विधि के समक्ष समता.-** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

**15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध.-** (4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

**29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण.-** (1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है; उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिका को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

**340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति.-** (1) राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिएं और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाऐंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाऐंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।

(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

# अध्याय - 1
## छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संक्षिप्त विवरण एवं पद संरचना

# राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संक्षिप्त विवरण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े समाज के लिए विशेष सुविधाएँ एवं आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इन जातियों/वर्गो का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर समाज के अन्य वर्गो के समान हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए शासकीय नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 29 जनवरी, 1953 में श्री काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम आयोग काका कालेलकर आयोग गठित की गई। काका कालेलकर आयोग ने 30 मार्च, 1955 में रिपोर्ट भारत शासन को प्रस्तुत की गई। वर्ष 1955 से 1978 तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय विचारार्थ रहा। 20 दिसम्बर 1978 को श्री बी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग (मण्डल आयोग) का गठन किया गया। मण्डल आयोग ने जनवरी 1979 से अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसने 21 दिसम्बर, 1980 में रिपोर्ट भारत शासन को प्रस्तुत कर दी।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित बी.पी. मण्डल आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक 09 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने ''इन्दिरा साहनी बनाम भारतीय संघ'' के वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गो में जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के संबंध में प्रत्येक सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किये जायेंगे जो शासन को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें सरकार सामान्यतः मानने के लिए बाध्य होगी।

केन्द्र सरकार के निर्देशों पर राष्ट्रीय आयोग की तरह पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में महाजन कमीशन का गठन किया गया। महाजन कमीशन दिसम्बर 1983 में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया।

मध्यप्रदेश से पृथक होकर नवम्बर, 2000 में छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 21.12.2005 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में दिनांक 23.07.2007 को मान. श्री नारायण चंदेल का मनोनयन किया गया। आयोग के द्वितीय अध्यक्ष के रूप में मान. डॉ. सोमनाथ यादव, तृतीय व चतुर्थ अध्यक्ष के रूप में मान. डॉ. सियाराम साहू एवं पंचम् अध्यक्ष के रूप में मान. श्री थानेश्वर साहू को मनोनीत किया गया था। शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु हित संरक्षण एवं हित संवर्धन के हित प्रहरी के रूप मे 23, जनवरी 2007 को गठित छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। उक्त गठित आयोग पर मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 को छत्तीसगढ़ में यथावत लागू किया।

अतः राज्याधीन आदि सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण हेतु पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासन करने एवं तत्सम्बधी शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार कर, संस्तुति देने हेतु आयोग अस्तित्व में आया।

# छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्तमान संरचना

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अनुसार पिछड़े वर्ग के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु आयोग का गठन किया जावेगा जो पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। लोक, सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की संस्तुति देगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों क पालन करेगा। जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए, साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में आयोग कार्य करेगा।

## आयोग के मनोनीत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

| क्र. | पदनाम | नाम | कब से | कब तक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | श्री नेहरू राम निषाद (केबिनेट मंत्री दर्जा) | 15.10.2024 | आगामी आदेश पर्यन्त |
| 2. | उपाध्यक्ष | श्रीमती चन्द्रकान्ति वर्मा (राज्यमंत्री दर्जा) | 28.05.2025 | आगामी आदेश पर्यन्त |

## कार्यालय हेतु स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारी की वर्तमान पदसंरचना:-

| क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाइल नं. | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री संकल्प साहू | सचिव | 9425562102 | |
| 2. | ` श्रीमती अनिता डेकाटे | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 9893674509 | |
| 3. | श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा | निज सहायक | 9826944981 | |

**नोट :- आयोग में अन्य कर्मचारी दैनिक मजदूरी दर पर श्री ओप्रकाश सिन्हा, श्री कोमल प्रसाद यादव, श्री विरेन्द्र कुमार यादव एवं श्री त्रिलोचन सिंह नेताम कार्यरत है।**

# अध्याय-2

## छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के प्रमुख प्रावधान (कार्य एवं शक्तियाँ)

# छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के प्रमुख प्रावधान

भारत में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ राज्य में छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 लागू किया गया एवं शासन द्वारा अधिनियम के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।

शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों की प्रतिबद्धता हेतु गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धारा 9 के अंतर्गत कार्य एवं उद्देश्य सुनिश्चित किये हैं। अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्य निष्पादन हेतु शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय न्यायालय को होती है। अधिनियम की धाराओं का विस्तार से विवरण एवं प्रावधान निम्नानुसार है :-

**आयोग के कार्य :-**

1. (क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।

   (ख) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

   (ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

   (घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करे और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसा कि वह उचित समझे।

   (ड) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करे।

   (च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

2. आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगी।

**आयोग की शक्तियाँः-**

1. आयोग अधिनियम की धारा 09 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय निम्नलिखित विषयों के बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

   (क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

## सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण :-

छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशातीत किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

आयोग अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर जो कि विहीत किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकलापों का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 (क) के अंतर्गत लोक सेवक होंगे।

## पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में सम्मिलित होने की प्रक्रिया :-

कोई व्यक्ति, समुदाय जो कि अपने को पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति के समकक्ष मानता है एवं पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में सम्मिलित होना चाहता है तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आयोग को आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने पर आवेदित जाति के सदस्य/आवेदक से उसकी जाति के बारे में आयोग कार्यालय द्वारा संबंधित जाति समुदाय की निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत जानकारी ली जाती है। जानकारी प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा संबंधित जिलों के कलेक्टरों से उनके अभिमत सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण किया जाता है। आयोग सर्वप्रथम क्षेत्रीय स्तर पर जाति से संबंधित प्रारंभिक जाँच करता है।

आयोग द्वारा संबंधित जिले से प्रारंभिक जाँच हेतु जाति के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज व वैवाहिक स्थिति का परीक्षण कर उनके शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर उस पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया जाता है। सहमति की दशा में अनुशंसा, शासन को प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के जाति की सूची में संबंधित जाति को सम्मिलित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया मान. आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर गंभीर चर्चा/विचार-विमर्श के उपरांत ही शासन के समक्ष रखी जाती है।

# अध्याय-3
## आयोग में संज्ञेय एवं असंज्ञेय मामले

# आयोग किन-किन बातों का संज्ञान में लेता है

**उपरोक्तानुसार मापदण्ड के आधार पर पीड़ित पक्ष की अग्रानुसार शिकायतें :-**

1. शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुए जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के राज्य की सूची में शामिल करने संबंधी आवेदन।
2. त्रुटिवश/विकसित ऐसी जातियों को परीक्षण के उपरांत पृथक करने संबंधी आवेदन।
3. छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग में सम्पन्न वर्ग की पहचान का रेखांकित आधार पुनरावलोकन करने संबंधी आवेदन।
4. पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को संविधान के अधीन या तत्समय किसी अन्य विधि अधीन दिए संरक्षण के अतिक्रमण संबंधी शिकायत।
5. पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए राज्य शासन द्वारा बनायी योजनाओं एवं प्रदत्त सुविधाओं की निगरानी के क्रियान्वयन संबंधी अनियमितता की शिकायत।
6. राज्य शासन या अन्य निकाय/प्राधिकरण के अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थ क्रियान्वित कार्यक्रमों के संबंध में सुधार हेतु सुझाव देने संबंधी आवेदन।
7. लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण वृद्धि/कमी के संबंध में प्राप्त आवेदन।

# आयोग किन-किन बातों को संज्ञान में नहीं लेता है

1. ऐसे आवेदन जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के व्यक्तियों से संबंधित न हो।
2. ऐसे प्रकरण जो मुख्यतः राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार क्षेत्र में आते हो।
3. ऐसे प्रकरण किसी न्यायालय एवं अन्य आयोग में विचाराधीन हो।
4. ऐसे आवेदन जो एक/तीन वर्ष से अधिक पुराने हो।
5. सरकारी सेवक की नौकरी संबंधित मामले में जिसमें आवेदनकर्ता स्वयं न होकर अन्य कोई व्यक्ति हो।
6. ऐसे प्रकरण जो आपराधिक एवं राजस्व संबंधी मामले के लिए हो।

# अध्याय-4

## अनुसंधान-डेस्क

## (जाति समावेशन/विलोपन का अनुसंधान विवरण)

# अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची-समावेशित जातियाँ (प्रतिवेदित अवधि का विवरण)

मान. उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार एवं अन्य 1992 (3) के मामले में सरकारी सेवा एवं पदों की भर्ती में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को उचित ठहराया, जिसकें आधार पर राज्य सरकार ने छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत धारा 9 (1) में प्रावधान किया कि आयोग राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में पिछड़े वर्गो के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जांच करेगा एवं ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्गो के अतिसमावेशन एवं अल्पसमावेशन से संबंधी शिकायतों का सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित एवं न्यायसंगत समझेगा। अधिनियम की धारा (11) (1) के अधीन राज्य सरकार किसी भी समय और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के 10 वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक अनुवर्ती 10 वर्षो की अवधि पर सूची के पुनरीक्षण कर सकेगी एवं धारा 11 (2) के अनुसार राज्य सरकार पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श लेगी।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न जातियों का अनुरोध स्वीकार कर आयोग अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करता है। छ.ग. राज्य के मैदानी क्षेत्रों सहित वनांचलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की प्रधानता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के राज्य की सूची में समावेशन हेतु सामाजिक क्रियाकलापों, आचार–विचार, मान्यताओं एवं सामाजिक अस्तित्व को मूल संस्कृति का आधार मानते हुए पिछड़ा वर्ग की जाति के शोध (अनुसंधान) करता हैएवं अनुसंधान के आधार पर आयोग द्वारा छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य की सूची में शामिल करने संबंधी प्रतिवेदन को आयोग की बैठक में विचारण हेतु रखा जाता है। विचार उपरांत शासन को कार्यवाही/प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2024–25 तक प्राप्त आवेदनों पर अनुसंधान/मानवशास्त्रीय अध्ययन का विवरण एवं छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में समावेशन हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में कार्यवाही की गई, जिसका विवरण अग्रप्रकार है :–

**1.1 <u>रावत जाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन</u> :–**

छ.ग. राज्य के कोरबा, रायपुर, महासमुन्द, गरियाबंद जिलों से रावत समाज के पदाधिकारियों से रावत जाति को छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची में समावेशन बाबत् आवेदन प्राप्त हुआ है। आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए बेमेतरा, कबीरधाम, रायपुर, महासमुन्द, गरियाबंद एवं धमतरी जिलें का प्रतिदर्श परीक्षण कर मानवशास्त्रीय अध्ययन किया गया एवं संबंधित समाज को अभिलेख प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा प्राप्त अभिलेखों के आधार पर रावत जाति के रीति–रिवाज, संस्कार, रहन–सहन, देवी–देवता, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन पर अध्ययन किया गया तथा प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 28.03.2025 की बैठक में विचारार्थ रखा गया। चर्चा उपरांत उक्त जाति छ.ग. राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में पूर्व से शामिल होने एवं अहीर यादव समाज के समकक्ष है। अतः रावत जाति को छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची के अनुक्रमांक 01 पर 'अहीर' के उपरांत 'रावत' एवं अंग्रेजी में RAWAT एवं RAVAT के समावेशन हेतु अनुशंसा प्रेषण करने की कार्यवाही करने निर्देश दिया गया।

# रावत समाज का अध्ययन/अनुसंधान का छायाचित्र

रावत समाज से चर्चा करते हुए आयोग के अनुसंधान टीम

रावत समाज का अनुसंधान के दौरान बाये से चतुर्थ आयोग के सचिव श्री बीरू कुमार साहू एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे

रावत जाति के अध्ययन अनुसंधान के दौरान समाज प्रमुखों द्वारा आयोग के मान. अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद को प्रस्ताव सौपते हुए

रावत समाज से चर्चा करते हुए आयोग के अनुसंधान टीम

रावत समाज से चर्चा करते हुए आयोग के अनुसंधान टीम

आयोग द्वारा बैठक में अनुशंसा के परिपालन में 'रावत' जाति की अनुशंसा संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयोग का पत्र क्र. 453/बैठक/पिवआ/2025 रायपुर दिनांक 10.06.2025 में प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया है।

**1.2 <u>हलवाई जाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन</u> :—**

छ.ग. राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिलों से हलवाई समाज के पदाधिकारियों द्वारा हलवाई जाति को छ. ग. राज्य की केन्द्रीय सूची में समावेशन बाबत् आयोग में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए बेमेतरा, कबीरधाम, रायपुर, महासमुन्द एवं गरियाबंद जिलें का प्रतिदर्श परीक्षण कर मानवशास्त्रीय अध्ययन किया गया। हलवाई समाज को छ.ग. राज्य में 26.12.1984 के पूर्व के जाति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया। समाज प्रमुखों को अभिलेख प्रेषण हेतु पत्र भी प्रेषित किया गया हैं। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान भी अपने समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वयं को अनारक्षित वर्ग बनिया, गुप्ता, वैश्य होना बतलाया गया। अध्ययन/अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार कर बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मान. अध्यक्ष महोदय, एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रतिवेदन के परिशीलन के उपरांत निर्देश दिया गया कि हलवाई जाति के अभिलेख समाज द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, अतः हलवाई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के केन्द्रीय सूची में समावेशन बाबत् विचार किया जाना संभव नहीं है।

**हलवाई जाति को छ.ग. राज्य के केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु मानवशास्त्रीय अध्ययन अनुसंधान के दौरान गरियाबंद में आयोग के सचिव श्री बीरू कुमार साहू एवं सहा.अनु.अधि. श्रीमती अनिता डेकाटे**

### 1.3 बैरागी जाति पर चर्चा :–

अनिता वैष्णव द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया है कि उनके अभिलेखों में उनकी जाति ''बैरागी'' की स्पेलिंग अंग्रेजी में 'BAIRAGEE' है एवं राज्य की केन्द्रीय सूची में जिसमें ''बैरागी'' की स्पेलिंग 'BAIRAGI उल्लेखित है, जिसके कारण छ.ग. राज्य में केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

आवेदक ने निवदेन किया है कि केन्द्रीय सूची में ''बैरागी'' की स्पेलिंग 'BAIRAGEE' के स्थान पर अंग्रेजी में 'BAIRAGEE' किया जावें। उक्त विषय बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अंग्रेजी में **(i)** एवं **(ee)** दोनों ही 'ी ' की मात्रा के लिए प्रयोग किये जाते हैं। अतः छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची में बैरागी की स्पेलिंग BAIRAGI एवं BAIRAGEE दोनों समावेशन किये जाने का निर्देश दिया गया।

आयोग द्वारा बैठक के निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची में बैरागी की स्पेलिंग BAIRAGI एवं BAIRAGEE दोनों समावेशन करने हेतु प्रस्ताव आयोग का पत्र क्र. 472/बैठक/पिवआ /2025 रायपुर दिनांक 15.05.2025 में प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया है।

### 1.4 देवांगन जाति पर चर्चा :–

श्री चंदु देवांगन एवं श्री महेश देवांगन द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया है कि छ.ग. राज्य में जाति प्रमाण पत्र बनाते समय पोर्टल पर ''देवांगन'' की स्पेलिंग अंग्रेजी में 'DEWANGAN' है एवं राज्य की केन्द्रीय सूची में ''देवांगन'' की स्पेलिंग 'DEVANGAN' उल्लेखित है, जिसके कारण छ.ग. राज्य में देवांगन जाति के उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं केन्द्रीय सेवा हेतु जाति प्रमाण पत्र बनाने के समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आवेदक ने निवदेन किया है कि केन्द्रीय सूची में ''देवांगन'' की स्पेलिंग 'DEVANGAN' के स्थान पर अंग्रेजी में 'DEWANGAN' किया जावें। उक्त विषय बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अंग्रेजी लेटर **W/V** दोनों का ही उच्चरण 'व' होता है। अतः छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची में देवांगन की स्पेलिंग में DEVANGAN एवं DEWANGAN दोनों को ही शामिल किये जाने का निर्देश दिया गया।

आयोग द्वारा बैठक में निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची में देवांगन की स्पेलिंग में DEVANGAN एवं DEWANGAN दोनों समावेशन करने हेतु प्रस्ताव आयोग का पत्र क्र. 474/बैठक/पिवआ /2025 रायपुर दिनांक 15.05.2025 में प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया है।

### 1.5 केंवट जाति पर चर्चा :–

श्री डोमन लाल निषाद द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत करते हुए लेख किया गया है कि छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में समावेशित ''केंवट' जाति की स्पेलिंग राज्य की सूची के पोर्टल पर अंग्रेजी में 'KENVAT' है, किंतु छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में समावेशित ''केवट' की स्पेलिंग 'KEWAT' उल्लेखित है, जिस कारण से छ.ग. राज्य में केंवट जाति के पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं केन्द्रीय सेवा हेतु अंग्रेजी में जाति प्रमाण पत्र बनाने के समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आवेदक ने निवदेन किया है कि केन्द्रीय सूची में ''केंवट'' की स्पेलिंग 'KEWAT' के स्थान पर अंग्रेजी में 'KENVAT' किया जावें। उक्त विषय विचारार्थ बैठक में रखा गया। मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि केवट के लिए KEVAT,

KENVAT, KENWAT शब्द भी अंग्रजी में प्रयोग किये जाते हैं। अतः छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची अनुक्रमांक 08 पर शामिल KEWAT के साथ KEVAT, KENWAT, KENVAT भी शामिल किये जाने का निर्देश दिया गया।

आयोग द्वारा बैठक के निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य की केन्द्रीय सूची अनुक्रमांक 08 पर शामिल KEWAT के साथ KEVAT, KENWAT, KENVAT शामिल करने हेतु प्रस्ताव आयोग का पत्र क्र. 465/बैठक/पिवआ/2025 रायपुर दिनांक 08.05.2025 में प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को प्रेषित किया गया है।

## केंवट समाज का अध्ययन/अनुसंधान का छायाचित्र

**छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में केंवट जाति को शामिल करने हेतु मानवशास्त्रीय अध्ययन, अनुसंधान के दौरान समाज प्रमुखों से चर्चा करते हुए आयोग के मान. अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद, सचिव, श्री बीरू कुमार साहू, सहायक अनु. अधिकारी, श्रीमती अनिता डेकाटे का छायाचित्र।**

# जाति समावेशन संबंधी आवेदनों का संख्यात्मक विवरण

**वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग में प्राप्त जाति समावेशन संबंधी प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण :-**

| वर्ष | प्राप्त आवेदन की संख्या | निराकृत जातियां | प्रक्रियाधीन जातियां |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008 | 33 | 33 | — |
| 1 अप्रेल 2008 से 31 मार्च 2009 | 12 | 12 | — |
| 1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2010 | 06 | 06 | — |
| 1 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2011 | 04 | 04 | — |
| 1 अप्रेल 2011 से 31 मार्च 2012 | 10 | 10 | — |
| 1 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013 | 17 | 17 | — |
| 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2014 | 05 | 05 | — |
| 1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2015 | 06 | 06 | — |
| 1 अप्रेल 2015 से 31 मार्च 2016 | 08 | 08 | — |
| 1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 | 07 | 07 | — |
| 1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 | 04 | 04 | — |
| 1 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 | 04 | 04 | — |
| 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 | 10 | 08 | 02 |
| 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 | 04 | 04 | — |
| 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 | 04 | 01 | 03 |
| 1 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023 | 04 | 02 | 02 |
| 1 अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 | 03 | — | 03 |
| 1 अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 | 01 | — | 01 |
| योग :— | 142 | 131 | 11 |

**वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग में प्राप्त जाति समावेशन संबंधी प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक चार्ट :-**

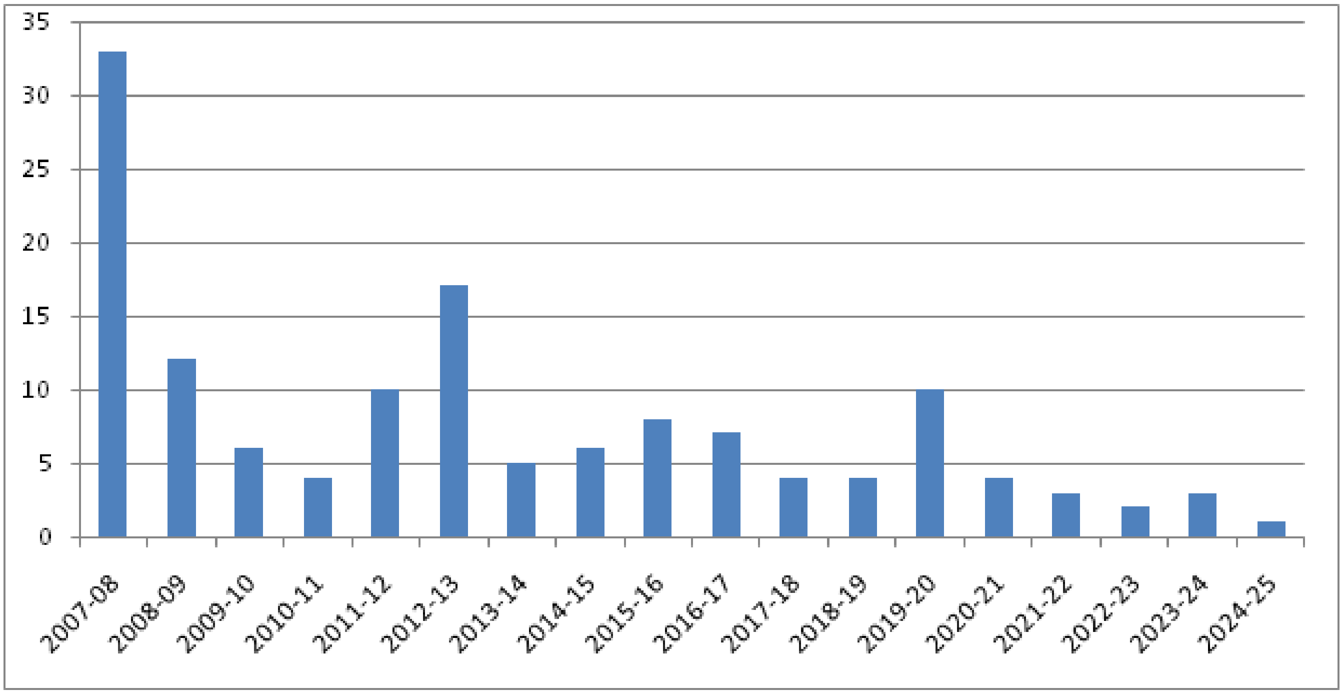


**वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग में प्राप्त जाति समावेशन संबंधी प्राप्त आवेदनों के निराकरण का रेखा चित्रीय प्रदर्शन**

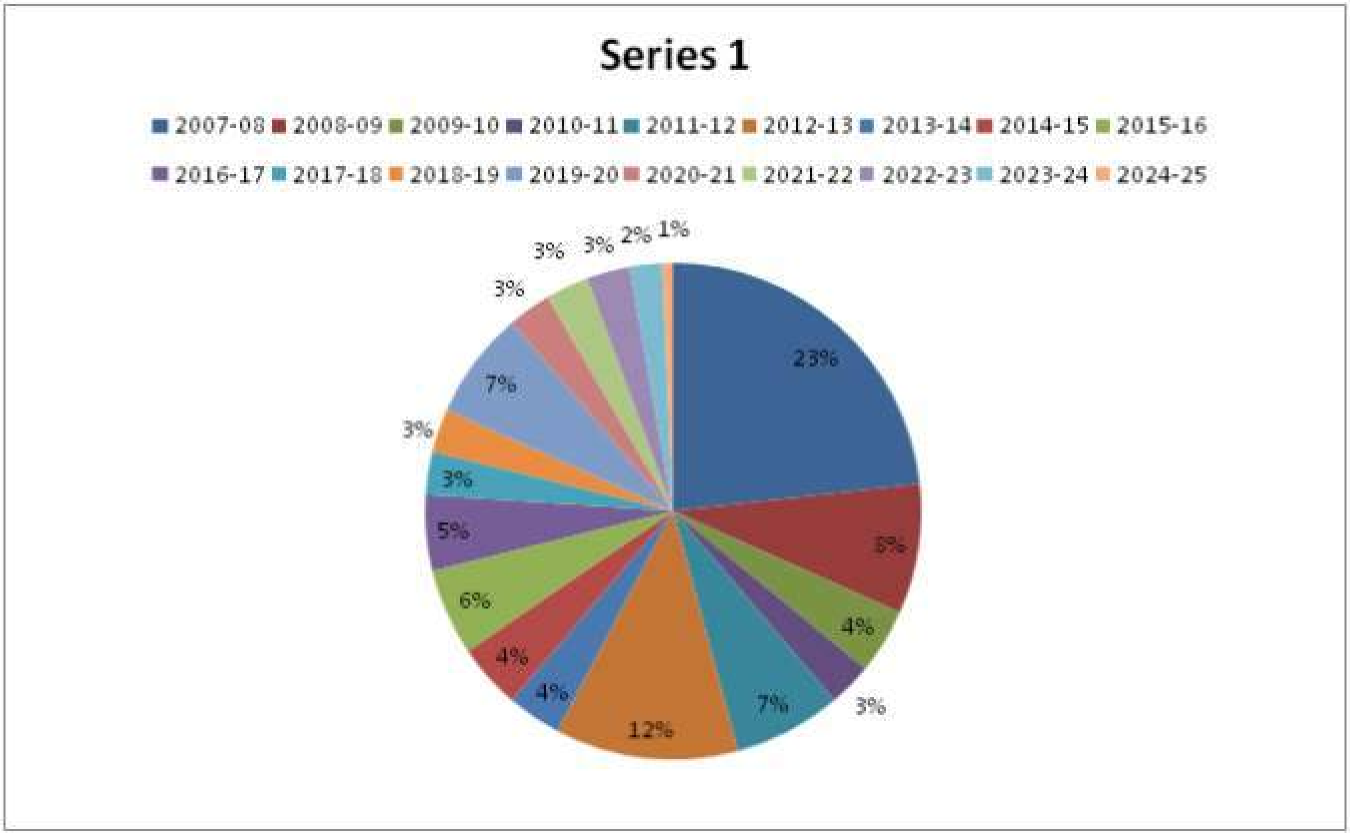

# अध्याय-5

## शिकायत-डेस्क

(आयोग को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही)

# प्रतिवेदित अवधि में शिकायत संबंधी (प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण)

राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्याय एवं राजनैतिक तथा नियोजन में अवसर की समानता हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्याओं का आवेदन प्राप्त करता है। शासकीय नियम/निर्देश की परिधि में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों को राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था एवं शासकीय निर्देशों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही करता है।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा (9) के अधीन पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को, संविधान के तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत दिए गए संरक्षण के हितप्रहरी के रूप में कार्य करते हुए पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु, राज्य में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की समुचित एवं यथासमय कार्यन्वयन की निगरानी करते हुए लोक सेवाओं /शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के आरक्षण संबंधी सलाह या सुझाव शासन को देता है। आयोग पिछड़ा वर्ग में संपन्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करता है, अथवा सूचीबद्ध पिछड़े वर्गों के लागू आरक्षण नियमों का शैक्षणिक संस्था/नियोजन में गैर अनुपालन की शिकायतों की जाँच कर कार्यवाही हेतु परीक्षण कर क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रस्तावित करता है तथा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन (अनुशंसा) प्रस्तुत करता हैं। :-

## आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायतें मुख्यतः निम्नानुसार हैं

1. छत्तीगसढ़ में आरक्षण नियम के तहत शासकीय सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण न दिए जाने संबंधी।
2. छात्रवृत्ति प्रदाय करने में अनियमितता संबंधी शिकायत।
3. जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर के मापदण्डों में भ्रांति के कारण जाति प्रमाण जारी न किए जाने की शिकायत।
4. पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अन्य व्यक्ति, संस्था द्वारा प्रताड़ित किए जाने संबंधी शिकायत।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा वर्ष 2024–25 में प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्यवाही की गई, जिसका विवरण अग्रप्रकार है :–

### 1. श्री सुनील जायसवाल की शिकायत :–

श्री सुनील जायसवाल पिता श्री बिन्देश्वरी जायसवाल, निवासी– भिलाई–03 तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा आयोग में अनावेदक श्री संजय यादव के विरूद्ध मकान निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरांत राशि भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गयी है। शिकायत में लेख है कि श्री सांई हर्षिता डेवलपर्स एक फर्म है जो वॉलफोर्ट पैराडाईज कॉलोनी में गृह निर्माण एवं जमीन खरीदी बिक्री का कार्य करती है एवं उक्त कालोनी में श्री संजय यादव का मकान नं. 172 स्थित है। अनावेदक संजय यादव द्वारा अपने उक्त मकान के प्रथम तल में मकान निर्माण हेतु आवेदक सुनील जायसवाल से 1115 वर्गफीट में 1250 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से कुल रु. 13,93,795/– में मकान का कार्य (फिनिसिंग के साथ) पूर्ण कर देने का समझौता किया गया था। आवेदक द्वारा

अनावेदक का मकान पूर्ण किया गया। अनावेदक द्वारा कार्य के एवज में 13,05,000 रु. ही भुगतान किया 88,795 रु. का भुगतान नहीं किया गया। प्रस्तुत शिकायत को आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की धारा (9) के तहत आवेदक के हित संरक्षण का विषय मानकर प्रकरण संज्ञान लेकर अधिनियम की धारा (10) के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के लिखित कथन दर्ज किया गया। आवेदक/अनावेदक के कथनोपरांत प्रकरण पर प्रतिपरीक्षण भी किया गया।

कार्यवाहीः—

पूर्व में भी प्रकरण के संबंध में आवेदक/अनावेदक का लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन के उपरांत प्रकरण आयोग की बैठक दिनांक 06.03.2023 में विचारार्थ रखा गया था। पूर्व बैठक में प्रकरण पर चर्चा करते हुए मान. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र/इकरारनामा एवं आवेदक/अनावेदक के कथन के संबंध में निर्माण कार्य की पूर्णता एवं लागत में भिन्नता होने के कारण अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग छ.ग. शासन को पत्र प्रेषित करते हुए उक्त विवादित मकान का मूल्यांकन प्राप्त किये जाने उपरांत अधीक्षण यंत्री द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी बैठक में प्रकरण पुनः विचारार्थ रखे जाने का निर्देश दिया गया था। आयोग द्वारा लगातार कार्यालयीन पत्र क्र. 292 दिनांक 26.04.2023, 477 दिनांक 26.06.2023, 990 दिनांक 03.11.2023 एवं 95 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अधीक्षण यंत्री, छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर को विवादित निर्माण कार्य एवं पूर्णता की लागत के संबंध में शासकीय मूल्यांकन संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। प्रेषित पत्र के परिपालन में अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., नवा रायपुर द्वारा भी निरंतर ज्ञाप. क्र./41376006 दिनांक 20.07.2023 एवं 41376013 दिनांक 30.11.2023, को अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. दुर्ग मंडल को वांछित विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया था, किंतु आज पर्यंत वांछित प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त रहा है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण को बैठक दिनांक 28.03.2025 में पुनः विचारार्थ रखा गया। प्रकरण पर मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि. दुर्ग मंडल को आयोग में उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया जावे एवं विवादित भवन के मूल्यांकन हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका निगम भिलाई—3 को पत्र प्रेषित किया जावे।

# आयोग में प्राप्त शिकायत संबंधी प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण

(वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग में प्राप्त शिकायत संबंधी प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण)

| क्रमांक | वर्ष | आवेदन पत्र की संख्या | निराकृत शिकायत | प्रक्रियाधीन शिकायत |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 2007—2008 | 36 | 36 | — |
| 2. | 2008—2009 | 45 | 45 | — |
| 3. | 2009—2010 | 39 | 39 | — |
| 4. | 2010—2011 | 22 | 22 | — |
| 5. | 2011—2012 | 67 | 67 | — |
| 6. | 2012—2013 | 146 | 146 | |
| 7. | 2013—2014 | 126 | 126 | |
| 8. | 2014—2015 | 35 | 35 | — |
| 9. | 2015—2016 | 60 | 60 | — |
| 10. | 2016—2017 | 89 | 89 | — |
| 11. | 2017—2018 | 62 | 62 | — |
| 12. | 2018—2019 | 28 | 28 | — |
| 13. | 2019—2020 | 14 | 14 | — |
| 14. | 2020—2021 | 25 | 25 | — |
| 15. | 2021—2022 | 57 | 56 | 01 |
| 16. | 2022—2023 | 54 | 53 | 01 |
| 17. | 2023—2024 | 91 | 79 | 12 |
| 18. | 2024—2025 | 79 | 55 | 24 |
| | योग :— | 1075 | 1037 | 38 |

## वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग में प्राप्त शिकायत संबंधी प्रकरणों का संख्यात्मक चार्ट

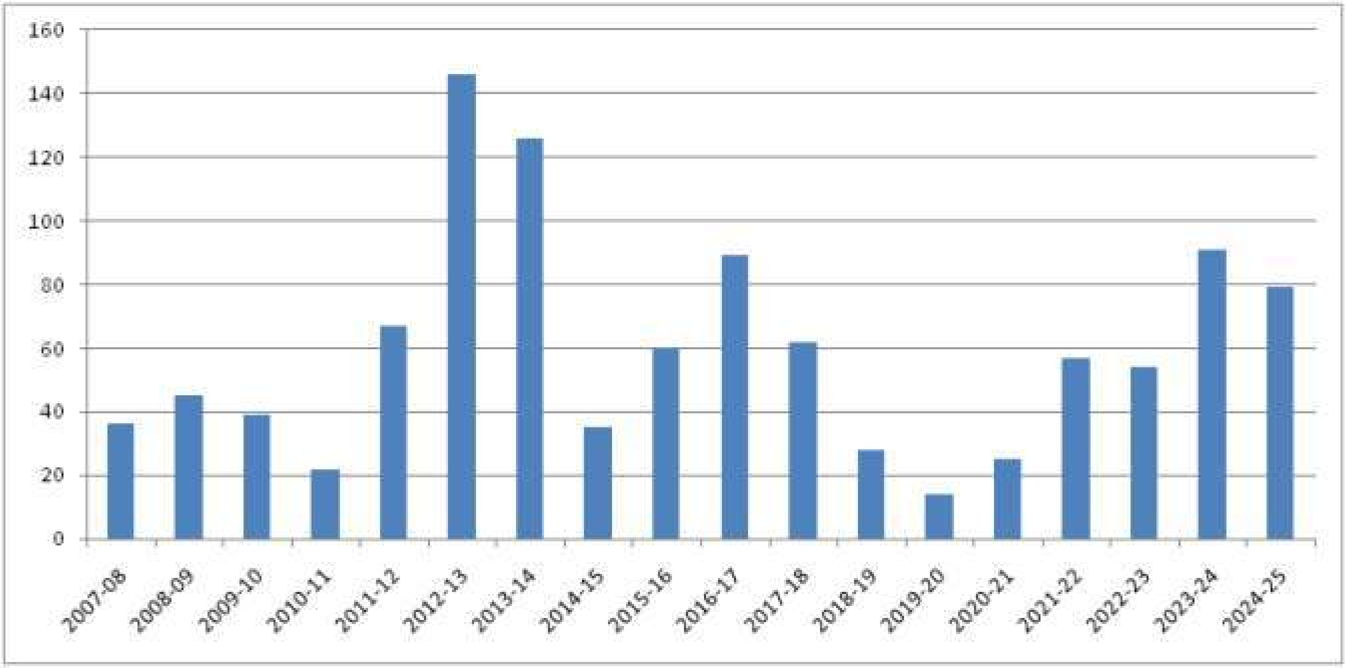


## वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2025 तक आयोग द्वारा निराकृत शिकायतों का रेखाचित्रीय प्रदर्शन

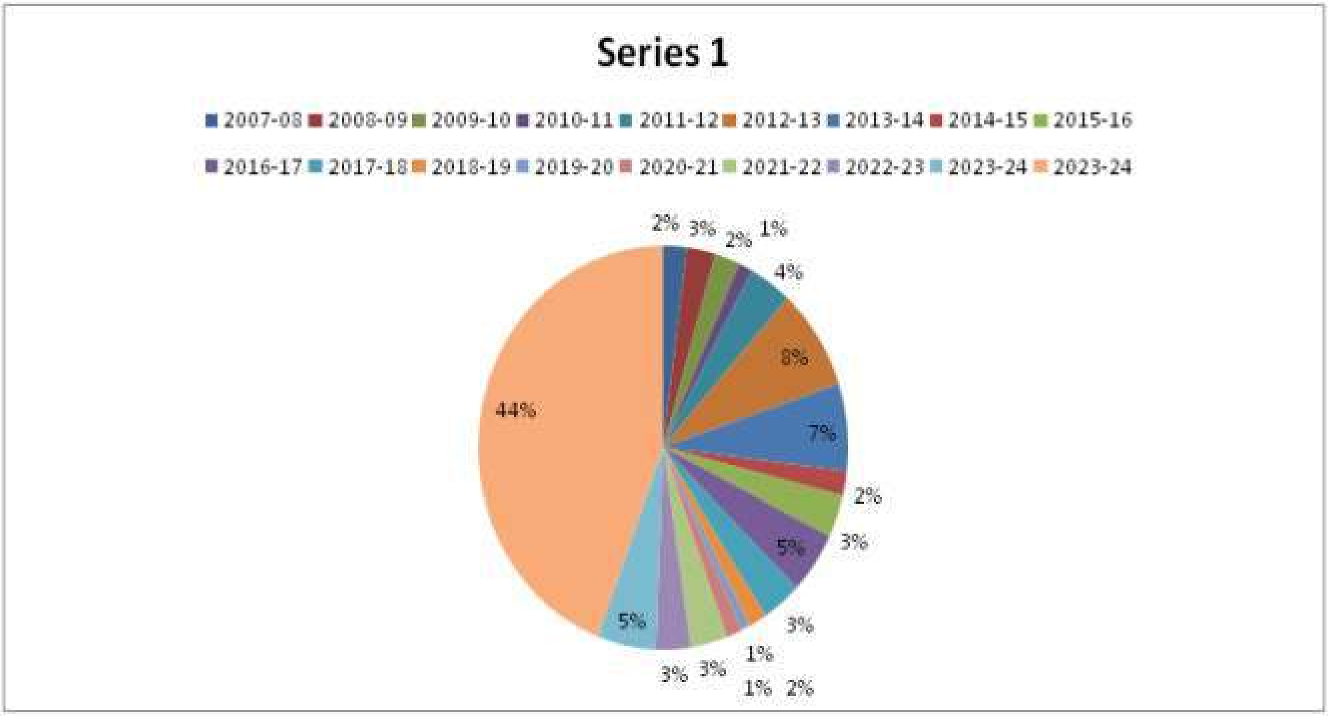

# अध्याय-6

## सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण

# प्रतिवेदित अवधि में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त/निराकृत आवेदनों का विवरण

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी जनसूचना प्रकोष्ठ का गठन कर जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। अधिनियम के परिपालन में आवेदनकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों/जातियों के सम्मिलन/निष्कासन एवं संस्तुतियों से संबंधित आवेदनों पर चाही गई सूचनाएँ नियमानुसार दी जाती हैं।

## सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2007-08 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण संबंधी वर्ष विवरण

| क्र. | वर्ष | प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (जनवरी से 31 दिसम्बर तक) | निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या | विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2007—08 | 05 | 05 | —— |
| 2 | 2009 | 03 | 03 | —— |
| 3 | 2010 | 05 | 05 | —— |
| 4 | 2011 | 10 | 10 | —— |
| 5 | 2012 | 18 | 18 | —— |
| 6 | 2013 | 18 | 18 | —— |
| 7 | 2014 | 15 | 15 | —— |
| 8 | 2015 | 15 | 15 | —— |
| 9 | 2016 | 09 | 09 | —— |
| 10 | 2017 | 07 | 07 | —— |
| 11 | 2018 | 16 | 16 | —— |
| 12 | 2019 | 08 | 08 | —— |
| 13 | 2020 | 10 | 10 | —— |
| 14 | 2021 | 11 | 11 | —— |
| 15 | 2022 | 23 | 23 | —— |
| 16 | 2023 | 14 | 14 | —— |
| 17 | 2024 | 18 | 18 | —— |

## सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्श 2007-08 से 31 दिसम्बर 2024 तक प्राप्त आवेदनों का वर्षवार चार्ट

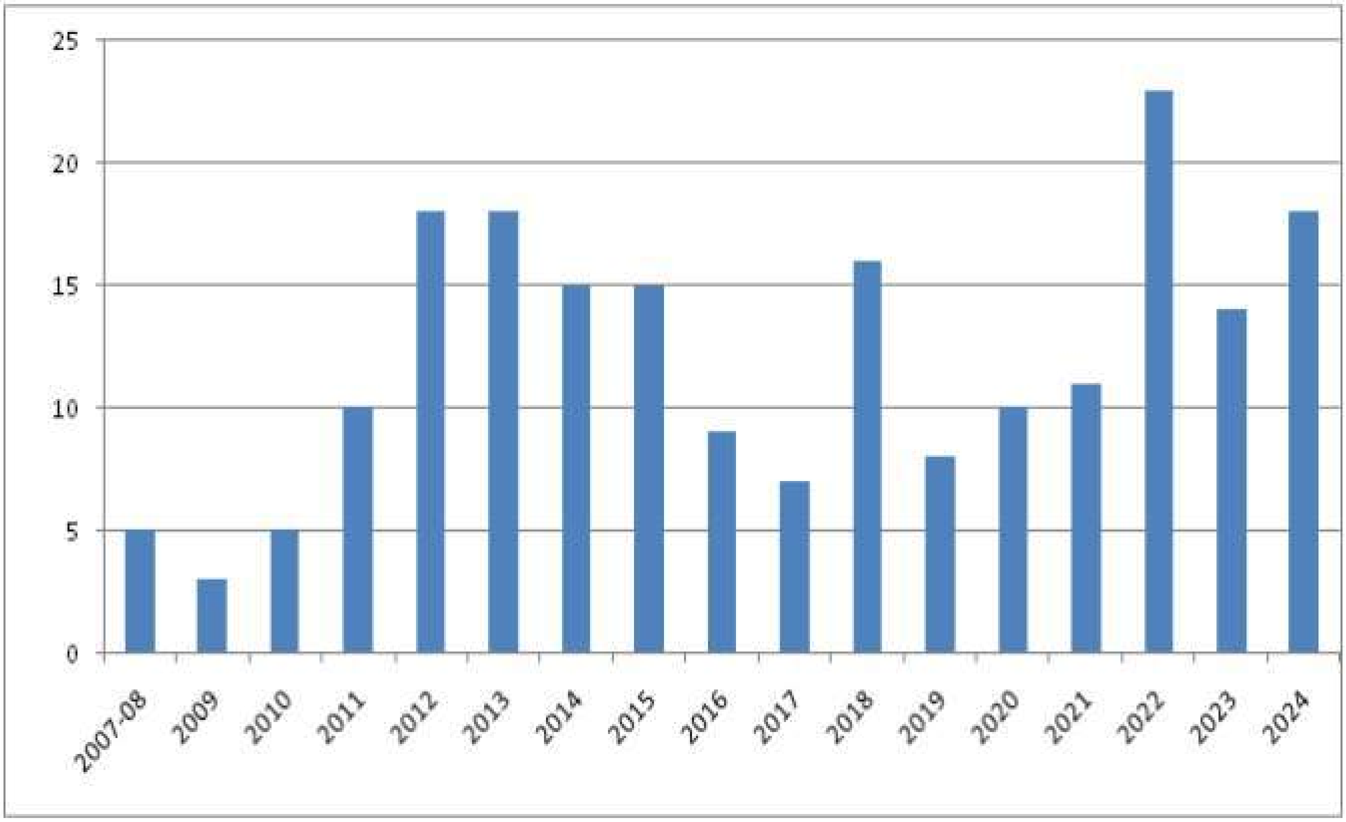


# सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2024 में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदनों का विवरण

### (01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक)

सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदनों के निराकरण का विवरण :-

| विभाग | कार्यालय का नाम | गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या | इस वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या | योग (कॉलम 3+4) | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | अस्वीकृत आवेदनों की संख्या | शेष आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग | निरंक | 18 | 18 | 18 | - | - |

आवेदन शत प्रतिशत निराकृत

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में श्रेणीवार विवरण :-

परिशिष्ठ- 4.8

| विभाग का नाम | कार्यालय | प्राप्त आवेदनों का श्रेणीवार विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शहरी क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र | कुल (कॉलम 3+4) | गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त | अनुसूचित जाति की संख्या | अनुसूचित जनजाति की संख्या | पिछड़ा वर्ग की संख्या | अन्य वर्ग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग | 8 | 10 | 18 | - | - | 4 | 12 | 2 |

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में श्रेणीवार विवरण :-

परिशिष्ठ- 4.9

| विभाग का नाम | कार्यालय | इस वर्ष में प्राप्त आवेदनों का श्रेणीवार विवरण | | | | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शासकीय सेवक | पत्रकार | सामाजिक कार्यकर्ता | महिला | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग | - | - | - | 1 | 17 | 18 |

विभागीय जानकारी के अंतर्गत प्रसारित करने वाले प्राधिकारियों का विवरण :-

| विभाग का नाम | कार्यालय का नाम | जन सूचना अधिकारी का नाम एवं मो.नं. | सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम एवं मो.नं. | प्रथम अपीलीय अधिकारी | विभाग के अधीनस्थ लोक प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग | श्रीमती अनिता डेकाटे (सहा. अनु. अधि.) 9893674509 | श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा (निज सहायक) 9826944981 | अपर संचालक (स्थापना), कार्यालय, आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर | - |

# अध्याय-7

## अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य एवं केन्द्रीय सूची

# छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक/एफ–16–49/2019/25/2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक– /07/2020
10 AUG 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़.

विषयः– छ.ग. राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग के जातियों की एकजाई सूची का प्रेषण।

----

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.06.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग के जातियों की एकजाई सूची अधिसूचित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राजपत्र के दिनांक 27 जून 2020 के अंक मे प्रकाशित हुई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2– कृपया आपके जिले के जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले/सत्यापन करने वाले सक्षम प्राधिकारियो को उक्त राजपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि.

A.R.O.

(एस.के. दुबे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुजा.वि.वि.

पृ.क्रमांक/एफ–16–49/2019/25/2/966 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक– /07/2020
10 AUG 2020

प्रतिलिपिः–

27.8.20

1– विशेष सहायक, मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

2– सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

3– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

4– संचालक, सह सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

5– समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़

6– संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुरखौती–मुक्तांगन के पास, सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर.

7– सचिव, छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सी–21, रवि नगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर छ.ग.

8– समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़

आवक/जावक क्र. 218/BCC/O. दिनांक 27.08.2020

की ओर राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुजा.वि.वि.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जून 2020—आषाढ़ 6, शक 1942

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

अधिसूचना

कमांक/एफ–16–49/2019/25/2. — मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 23–4–97–चौव्वन–1 दिनांक 02 अप्रैल 1997 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में 05 अप्रैल 1997 को प्रकाशित हुई है, द्वारा जारी सूची में मध्यप्रदेश की जातियों के नागरिकों के वर्ग को सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। इस सूची में 87 जाति समूह/जाति सम्मिलित है। मध्यप्रदेश राज्य से पृथक होकर दिनांक 01–11–2000 से नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में यह सूची अनुकूलित की गई है।

2/ उक्त अधिसूचना प्रकाशन के बाद अनेकों जातियाँ इस सूची में सम्मिलित की गई है। कतिपय जातियों के नाम में संशोधन किया गया है, कामा (,) तथा कोष्ठक भी हटाए गए हैं, जो निम्नानुसार है–

36/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक डी–3599/1109/2003 आजावि दिनांक 31 जुलाई 2003 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 91** में पोबिया जाति को सम्मिलित किया गया है।

37/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–33/25–2/2012 /आजावि दिनांक 07 सितम्बर 2012 द्वारा जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 92** में ''खर्रा, खडरा, खोडरा'' को सम्मिलित किया गया है।

38/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–33/25–2/2012 /आजावि दिनांक 07 सितम्बर 2012 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 93** में ''रौनियार'' को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014 /25–2 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 93** में अंकित ''रौनियार'' के आगे ''कमलापुरी'' को सम्मिलित किया गया है।

39/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 94** में ''बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द'''' जातियों को सम्मिलित किया गया है।

40/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 95** में ''झोरा'' जाति को सम्मिलित किया गया है।

3– अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल 1997 द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग की सूची के कॉलम 04 (कैफियत) में सरल कमांक 12, 20, 21 (आंशिक) 38, 47, 57, 76 एवं 81 में अंकित प्रविष्टियाँ छ.ग. राज्य से सम्बन्धित न होने एवं अप्रासंगित होने से विलोपित की जाती है। इसी तरह सूची के सरल कमांक 87(21) में प्रतिबंधित शब्द अंकित होने से कैफियत कॉलम में अंकित प्रविष्टि विलोपित की जाती है।

अतः समय–समय पर किए गए संशोधन, परिवर्धन, विलोपन को समावेशित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग के जातियों की निम्नानुसार एकजाई सूची अधिसूचित करता है–

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, रावत, गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, यादव, राऊत, ग्वाला, गहिरा, गौली | पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय, जज्मानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना | ''यादव'', अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती हैं. यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं। राऊत, ग्वाला एवं रावत में ब्राह्मण राऊत/ग्वाला /रावत एवं राजपूत राऊत/ ग्वाला/रावत शामिल नहीं हैं। |
| 2 | असारा, असाड़ा | कृषि कार्य | – |

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | बैरागी, वैष्णव, थनापति | धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति | वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राह्मण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं. |
| 4 | बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने. | घुमक्कड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति | नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राह्मण शामिल नहीं हैं. |
| 5 | बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया. | पान उत्पादक व विक्रेता. | बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं. |
| 6 | बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा). | कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना | विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है. |
| 7 | बारी | पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति | — |
| 8 | वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार. | विरूदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति | इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है. |
| 9 | भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी | चना, लाई, ज्वार, इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना. | इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है. |
| 10 | भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया. | राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरूदावली का गायन | — |
| 11 | छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव. | कपड़ों में छपाई व रंगाई | — |
| 12 | ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह,नावड़ा/तुरहा, केवट, केंवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, कीर, ब्रितिया, वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा जिलों में) सोधिंया. | मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना | |
| 13 | पंवार, पोवार, भोयर, भोयार | कृषि एवं कृषि मजदूरी | इसमें पंवार/पवार राजपूत शमिल नहीं हैं. |
| 14 | भुर्तिया, भुतिया, भोरथिया, भोरतिया | पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय | — |
| 15 | भोपा, मानभाव | धार्मिक भिक्षावृत्ति | इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया है. |

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | भटियारा, हलवाई, गुरिया, गुड़िया, गुडीया | भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के खाद्य पदार्थ तैयार करना है. | — |
| 17 | चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर | चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना. | — |
| 18 | चितारी | दीवालों पर चित्रकारी करना | — |
| 19 | दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव) | कपड़ा सिलाई करना | — |
| 20 | धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ | कपड़ा साफ करना | |
| 21 | मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा | कृषक | रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है. |
| 22 | किरार, किराड़, धाकड़ | कृषक | राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं. |
| 23 | गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले, गड़ेरी | भेड़ बकरी पालना | गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं. |
| 24 | कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार | कपास की रूई धुनकने का कार्य करना. कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं | — |
| 25 | कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, कोष्टा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी. | बुनकर | इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं. |
| 26 | धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव | गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती है. | इस समूह में ब्राह्मण समूह शामिल नहीं है. |
| 27 | गुसाई, गोस्वामी, गोसाई | धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती | ब्राह्मण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं हैं. |
| 28 | गूजर (गुर्जर) | कृषक, पशुपालन | राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं. |

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा). | लोहे के औजार बनाने का कार्य करना | विश्वकर्मा में ब्राह्मण वर्ग सम्मिलित नहीं हैं. |
| 30 | गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी, जोगी, नाथजोगी | गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं. | ''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राह्मण हैं, वे शामिल नहीं हैं. |
| 31 | घोषी | भैंस पालक व पशुपालक | इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं. |
| 32 | सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी. | स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना. | इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं. |
| 33 | (अ) काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर. | शाक–सब्जी उत्पादन व साग–सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी. | ''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति है. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं. कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं। |
| | (ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार | ——''—— | हरदिहा, मरार में गांव के मुखिया पटेल पद तथा अघरिया, धाकड़ आदि अन्य जाति जो पटेल उपनाम लिखते हैं, शामिल नहीं हैं। |
| 34 | जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, भटरी, भडरी, भठरी | ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना | शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं. जोशी ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हैं. |
| 35 | लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर | लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना. | — |
| 36 | ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर | तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना. | — |
| 37 | खातिया, खाटिया, खाती | कृषक | — |
| 38 | कुम्हार, प्रजापति, कुंभार. | मिट्टी के बर्तन बनाना | |
| 39 | कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, कुन्वी, कुनवी, गवेल, गभेल | कृषक, कृषि मजदूरी | — |

| क्र. | नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | कमरिया | पशुपालक व दुग्ध विक्रेता | — |
| 41 | कौरव, कांवरे | कृषक | — |
| 42 | कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, कलवार | मदिरा (शराब) बेचना | — |
| 43 | कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा | कृषक | — |
| 44 | लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया | नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना | — |
| 45 | नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे. | बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना | सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं. |
| 46 | नायटा, नायड़ा | लघु कृषक, कृषि मजदूरी | — |
| 47 | पनका, पनिका | मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर. | |
| 48 | पटका, पटकी, पटवा | सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना | जैन धर्म के लोगों को छोड़कर |
| 49 | लोधी, लोधा, लोध | कृषक | — |
| 50 | सिकलीगर | शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना. | — |
| 51 | तेली, ठाठ, साहू, राठौर | तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना | तेली जाति के लोग अपने को ''साहू'' व ''राठौर'' कहते हैं. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इमसें शामिल नहीं हैं. |
| 52 | तुरहा, तिरवाली, बड्‌डर | मिट्‌टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना | — |
| 53 | किसडी, कसडी | नाच—गाकर मनोरंजन करने वाले | — |
| 54 | विलोपित | | |
| 55 | रोतिया, रौतिया | जो कृषि कार्य करती हैं. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं. | सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं. |
| 56 | मानकर, नहाल | जंगली जनजाति मजदूरी करना | मानकर की उपजाति ''निहाल'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है. |
| 57 | कोटवार, कोटवाल | ग्राम चौकीदारी | |
| 58 | खैरुवा | कत्था बनाना | ''खैरुवा'', खैरवार की उपजाति है. ''खैरवार'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है. |
| 59 | लोढ़ा, तंवर | कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन—यापन करना | — |

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | मोवार, मौवार | जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी | एक अघोषित आदिम जनजाति |
| 61 | रजवार | कृषक एवं कृषि मजदूरी | — |
| 62 | अघरिया | कृषक, कृषि मजदूरी | यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है. |
| 63 | तिऊर, तूरी | मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना. | — |
| 64 | भारूड़ | पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना. | मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे. |
| 65 | (विलोपित दिनांक 10.08.2017 ) | घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना | — |
| 66 | तेलंगा, तिलगा | कृषि श्रमिक | जंगली आदिम जाति जो तेलुगू भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है. |
| 67 | राघवी | कृषि कार्य करना | — |
| 68 | रजभर, राजभर | कृषि मजदूरी | — |
| 69 | खारोल | कृषि मजदूरी | — |
| 70 | सरगरा | ढोल बजाना | — |
| 71 | गोलान, गवलान, गौलान | गाय भैंस पालना और दूध का व्यवसाय | — |
| 72 | रज्जड़ रजझड़ | कृषि मजदूरी | — |
| 73 | जादम | कृषि मजदूरी | — |
| 74 | दांगी | कृषक | "दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है |
| 75 | गयार/परधनिया | कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले | रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं. |
| 76 | कुड़मी | कृषक | |
| 77 | विलोपित | | |
| 78 | बया महरा/कौशल, वया, बया | बुनकर | अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं. |
| 79 | पिंजारा (हिन्दू) | — | — |
| 80 | विलोपित | — | — |
| 81 | अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है. | पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं | |
| 82 | आंजना | — | — |
| 83 | थोरिया, थुरिया, थुड़िया | — | — |

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 84 | गेहलोत मेवाड़ा | — | — |
| 85 | रेवारी | — | — |
| 86 | रूआला/रूहेला | — | |
| | **मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह** | | |
| 87 | (1) रंगरेज | कपड़ों की रंगाई | हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय |
| | (2) भिश्ती | पानी भरने का काम | हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा |
| | (3) छीपा | कपड़ों में छपाई करना | हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय |
| | (4) हेला | मलमूत्र सफाई का कार्य | हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य |
| | (5) भटियारा | भोजन बनाने का कार्य | — |
| | (6) धोबी | कपड़ा धोने का कार्य | हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय |
| | (7) मेवाती | कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य | हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य |
| | (8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर. | रूई धुनाई का कार्य | हिन्दुओं की कड़ेरा जाति के समान |
| | (9) कुंजड़ा, राईन | साग–सब्जी फल इत्यादि बेचना | हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग–सब्जी का कार्य. |
| | (10) मनिहार, चुड़िहार | कांच की चूड़िया व बिसात खाने का समान बेचना. | हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा |
| | (11) कसाई, कस्साव | पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य | हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा |
| | (12) मिरासी | विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना | हिन्दू भाट जाति की तरह पेशा |
| | (13) मिरधा | चौकीदारी/रखवाली | हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय |

| क्र. | नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (14) बढ़ई (कारपेन्टर) | लकड़ी का समान एवं फर्नीचर बनाने का काम. | हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा. |
| | (15) हज्जाम (बारबर) | बाल बनाने का कार्य | हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले |
| | (16) हम्माल | वजन ढोना व पल्लेदारी करना | — |
| | (17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं). | कपड़ा बुनाई का कार्य | हिन्दू कोस्टी / कोष्टा जाति के समान पेशा |
| | (18) लुहार, नागौरी | लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना | हिन्दुओं के लुहार / लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले |
| | (19) तड़वी | कृषि कार्य | — |
| | (20) बंजारा | घुमक्कड़ जाति / समूह बैल गाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय | हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय |
| | (21) मोची | चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना | |
| | (22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर. | कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना. | हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले |
| | (23) पेमदी | पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा | — |
| | (24) कलईगर | बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना | — |
| | (25) नालबन्द | बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम. | — |
| | (26) शीशगर | — | — |

| क्र. | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह | परम्परागत व्यवसाय | कैफियत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 88 | रिक्त | | |
| 89 | शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी | मदिरा बनाना एवं बेचना | यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पायी जाती है. |
| 90 | भूलिया–भोलिया, भुलिया | सूती कपड़ा बुनना | – |
| 91 | पोबिया | खेती, मजूदरी | यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है। |
| 92 | खर्रा, खडरा, खोडरा | बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना | – |
| 93 | रौनियार, कमलापुरी | कृषि, पशुपालन, बैल/ घोड़े पर समान लादकर घूम–घूमकर बेचना एवं मजदूरी | इस समूह में वैश्य शामिल नहीं है |
| 94 | बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द | कुँआ, तालाब, बावली खोदना, खेतों में गड्ढा खोदना एवं मछली पकड़ना. | जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एवं शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते है. |
| 95 | झोरा | मिट्टी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकड़ना | मुख्य रूप से जशपुर जिले में निवास करते हैं. कुछ जनसंख्या रायगढ़ जिले में भी निवासरत हैं. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम.एम. मिंज,** संयुक्त सचिव.

# छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932
No. 232] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

फा. सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं ।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993(1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी ।

3. इस संबंध में 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं.12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993; सं. 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्तूबर, 1994; सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995; सं. 12011/99/94-बी.सी.सी., दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत अधिसूचित किया गया था । उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी., दिनांक 9 मार्च 1996; सं. 12011/44/96-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996; सं. 12011/13/97-बी.सी.सी., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997; सं. 12011/68/98-बी.सी.सी., दिनांक 27 अक्तूबर, 1999; सं. 12011/88/98-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999; सं. 12011/36/99-बी.सी.सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं. 12011/44/99-बी.सी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2000; सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी., दिनांक 6 सितम्बर, 2001; सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी., दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी., दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी., दिनांक 16 जनवरी, 2006; सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007; तथा सं. 12018/6/2005-बी.सी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2010, के तहत अधिसूचित किया गया था ।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र (दमन और दीव) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिए जाति और समुदाय (उपजातियों एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है ।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है । ये अंतर्वेशन अथवा संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

अन्य पिछडे वर्गों की केन्द्रीय सूची मे शामिल की जाने वाली प्रस्तावित जातियां/समुदायों की राज्यवार सूची को दर्शाने वाला विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ की अन्य पिछडे वर्गों की केन्द्रीय सूची मे शामिल की गई जातियां/समुदाय

| नई प्रविष्टि संख्या | जाति/उप-जाति/पर्याय के नाम |
|---|---|
| 1. | अहीर |
| | ब्रजवासी, गवली, ग्वाली, गोली, लिगांयत गाओली |
| | गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा |
| | जादव, यादव, राउत, थेथवार, गोप/गोपाल |
| 2. | असारा |
| 3. | भड़भूजा |
| | भुर्जी, धुरी या धूरी |
| 4. | बैरागी |
| 5. | बंजारा |
| | कारिरीवाला बंजारा |
| | लामन बंजारा |
| | बमानिया बंजारा |
| | लमान/लम्बानी, बंजारी |
| | मथुरा, मथुरा लभान |
| | मथुरा बंजारी, नवी बंजारा |
| | जोगी बंजारा, नायक, नायकड़ा |
| | लम्बाना/लम्बारा |
| | लम्भानी, लभाना |
| | लबान, लबाना, लामने |
| | धूरिया |
| 6. | बरई |
| | वारई |
| | वारी (चौरसिया) |
| | तमोली |
| | तम्बोली |
| | कुमावट्ट, कुमावत |
| 7. | बढई, सुतार, सुथार, कुन्देर, विश्वकर्मा |
| 8. | भारूड़ |
| 9. | भाट |
| | चारण (चरह्न) |
| | सावली, सुतिया |

| | |
|---|---|
| | राव |
| | जसोंधी |
| | मरू-सोनिया |
| 10. | भटियारा |
| 11. | भुरतिया |
| | भुतिया |
| 12. | चिप्पा, छीपा |
| | भावसार |
| | नीलगर |
| | जीनगर |
| | निराली |
| | रामगढ़ी |
| | रंगारी |
| | रंगरेज |
| | रंगारेज |
| | रंग्रेज |
| | रंग्रेघ |
| | छिप्पा-सिन्धी-खत्री |
| 13. | चितारी |
| 14. | चुनकर |
| | चुनगर/चूनगर |
| | कुलबंधिया |
| | राजगीर |
| 15. | दांगी |
| 16. | दर्जी |
| | चीपी/छिपी/चिपी |
| | शिपी |
| | मावी (नामदेव) |
| 17. | देशवाली |
| | मेवाती |
| 18. | धिमर/धीमेर |
| | भोई |
| | कहार |
| | कहरा |
| | धीवर |
| | मल्लाह |
| | नावदा, नावड़ा |
| | तुरहा |
| | केवट (रेकवार, रायकवार) |

| | |
|---|---|
| | कीर |
| | ब्रितिया/व्रितिया |
| | सोंधिया |
| 19. | धोबी (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इनको अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है) |
| 20. | धोली |
| | डफाली/डुफाली |
| | गुरव/गुराव |
| 21. | गडरिया |
| | कुरमार |
| | हटगर |
| | हटकर |
| | हाटकार |
| | गाड़री, गडारिया |
| | गारी |
| | गायरी |
| 22. | गारपगारी |
| | जोगीनाथ, नाथजोगी |
| 23. | घोषी |
| 24. | गूजर/गुर्जर |
| 25. | गुसाई/गोसाई/गोसाइन |
| | गोसेब |
| | गोस्वामी/गोवसामी |
| 26. | *इस्लामी समूह* |
| | 1. रंगरेज |
| | 2. भिश्ती,भिस्ती - अब्बासी |
| | 3. चिप्पा/छीपा |
| | 4. हेला |
| | 5. भटियारा |
| | 6. धोबी |
| | 7. मेवाती, मेव |
| | 8. पिंजारा, नद्दाफ |
| | फकीर/फकिर |
| | बेहना |
| | धुनिया |
| | धुनकर |
| | 9. कुंजरा, राईन |
| | 10. मनिहार |
| | 11. कसाई, कसाब, कस्साब |
| | कसब, कस्सब, कस्साब-कुरैशी |

| | |
|---|---|
| | 12. मिरासी |
| | 13. बढ़ई (कारपेंटर) |
| | 14. हज्जाम (बारबर) |
| | नाई (बारबर) |
| | सलमानी |
| | 15. जुलाहा - मोमिन |
| | जुलाहा-अंसारी |
| | मोमिन अंसारी |
| | 16. लुहार |
| | नागौरी लुहार |
| | 17. तड़वी |
| | 18. बंजारा, मुकेरी, मकरानी |
| | 19. मोची |
| | 20. तेली |
| | नायता, पिंडारी (पिंडारा) |
| | 21. कलईगर |
| | 22. पेमदी |
| | 23. नालबंद |
| | 24. मिर्धा (जाट मुस्लिम को छोडकर) |
| 27. | काछी |
| | (कुशवाहा/कोशवाहा मौर्य) |
| | कोयरी/कोइरी (कुशवाहा), शाक्या, मुराई |
| | पनारा/पनाहारा, सोनकर |
| 28. | कड़ेरे/कड़ोरे |
| | धुनकर |
| | धुनिया |
| 29. | कलार, कलाल |
| 30 | कलौता/ कोलटा/कोलता |
| 31. | कमरिया |
| 32 | कसाबी/किसबी |
| 33 | खारोल |
| 34 | खातिया |
| | खाती |
| 35 | किरार |
| | किराड़ |
| | धाकर/धाकड़ |
| 36 | कोष्टा/कोसटा |
| | कोस्ती/कोश्ती |
| | देवांगन |

| | |
|---|---|
| | देवांग |
| | सालवीदेवांग |
| | माला |
| | पदमहाली |
| | पदमशाली |
| | साली |
| | सुतसाली |
| | सलवार/सलेवार |
| | जेंदरा/जन्द्रा |
| | कोस्काटी |
| | गढ़वाल |
| | गढ़ेवाल |
| | गरेवार |
| 37. | कोटवार/कुटवार |
| | कोतवाल |
| 38. | कुम्हार (प्रजापति) |
| | कुम्भार |
| 39. | कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल, गाभैल |
| 40. | लखेरा/लखेर, कचेरा/कचेर |
| 41. | लोधी |
| | लोधा |
| | लोध |
| 42. | लोहार |
| | लुहार |
| | लोहपीटा |
| | गड़ोले |
| | गड़ेला |
| | लोहपटा, लोहपेटा |
| | विश्वकर्मा |
| 43 | लोनिया/लुनिया/लोनिआ/लुनिआ |
| | ओध, ओधे, ओधिया, ओडे, ओडिया, नानिया, मुरहा |
| | मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया |
| 44. | माली (सैनी), मरार |
| 45. | मानकर |
| 46. | मेरू, मेर |
| 47. | नाई (सेन, सविता, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही/नावी |
| 48. | नायटा, नायडा |
| 49. | पनिका |

| | |
|---|---|
| 50. | पटका |
| | पटकी |
| | पटवा |
| 51. | पिंजारा (हिन्दू) |
| 52. | पवार |
| | भोयर/भोयार |
| 53. | राघवी/राघावी |
| 54. | राजवार |
| 55. | रौतिया, रोतिया |
| 56. | सैईस, सहीस |
| | साईस |
| 57. | अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। |
| 58. | सिकलीगर |
| 59. | सोढ़ी |
| | सुदी |
| | सुण्डी |
| 60. | सुनार, स्वर्णकार |
| | झारी, झाड़ी |
| | अवधिया |
| | औधिया |
| 61. | तरहा |
| | तिरवाली |
| | वड्डार |
| 62. | तेली (राठौर, साहू) |
| 63 | ठठेरा, ठटेरा |
| | कसार |
| | कसेरा |
| | तमेरा |
| | तम्बटकर/ताम्रकार |
| | तमेर |
| 64. | वसुदेव |
| | बासुदेवा |
| | बसुदेव |
| | वासुदेवा |
| | हरबोला |
| | कापड़िया |
| | कापड़ी |
| | गोंधली |

## Appendix

**STATEMENT SHOWING STATE-WISE LISTS OF CASTES/COMMUNITIES TO BE NOTIFIED IN THE CENTRAL LIST OF OBCs**

(i) Following caste/community of **Chhatisgarh** in the Central List of OBCs

| New Entry No. | Name of Caste /sub castes/synonyms, etc. |
|---|---|
| 1. | Ahir |
| | Brajwasi, Gawli, Gawali, Goli, Lingayat-Gaoli, Gowari |
| | (Gwari), Gowra, Gawari, Gwara, |
| | Jadav, Yadav, Raut, Thethwar, Gop/Gopal. |
| 2. | Asara |
| 3. | Badhbhuja, |
| | Bhurji, Dhuri or Dhoori |
| 4. | Bairagi |
| 5. | Banjara |
| | Kachiriwala Banjara |
| | Laman Banjara, |
| | Bamania Banjara |
| | Laman/Lambani,Banjari |
| | Mathura, Mathura Labhan, |
| | Mathura Banjari,Navi Banjara, |
| | Jogi Banjara, Nayak, Naykada |
| | Lambana/Lambara |
| | Lambhani,Labhana |
| | Laban,Labana,Lamne, |
| | Dhuriya |
| 6. | Barai |
| | Waarai |
| | Wari (Chaurasia) |
| | Tamoli |
| | Tamboli |
| | Kumavatt,Kumavat |
| 7. | Barhai,Sutar,Suthar, Kunder,Vishwakarma |
| 8. | Bharood |
| 9. | Bhat |
| | Charan (Charahm) |
| | Sawli,Sutiya |
| | Rav |
| | Jasondhi |
| | Maru-Sonia |
| 10. | Bhatiyara |
| 11. | Bhurtiya |
| | Bhutiya |

| | |
|---|---|
| 12. | Chippa,Chhipa |
| | Bhavsar |
| | Nilgar |
| | Jingar |
| | Nirali |
| | Ramgari |
| | Rangari |
| | Rangrez |
| | Rangarej |
| | Rangraz |
| | Rangredh |
| | Chippa-Sindhi-Khatri |
| 13. | Chitari |
| 14. | Chunkar |
| | Chungar/Choongar |
| | Kulbandhiya |
| | Rajgir |
| 15. | Dangi |
| 16. | Darji |
| | Cheepi/Chhipi/Chipi |
| | Shipi |
| | Mavi (Namdev) |
| 17. | Deshwali |
| | Mewati |
| 18. | Dhimar/Dhimer |
| | Bhoi, |
| | Kahar, |
| | Kahra |
| | Dhiwar |
| | Mallah |
| | Nawda,Navda |
| | Turaha |
| | Kewat (Rackwar, Raikwar) |
| | Kir |
| | Britiya/Vritiya |
| | Sondhiya |
| 19. | Dhobi (excluding the area where they are listed as Scheduled Castes) |
| 20. | Dholi |
| | Dafaali/Dufali |

3257 GI/2010—3

| | |
|---|---|
| | Gurav/Guraw |
| 21. | Gadariya |
| | Kurmar |
| | Hatgar |
| | Hatkar |
| | Haatkaar |
| | Gaadri, Gadaria |
| | Gari, |
| | Gayari |
| 22. | Garpagari |
| | Joginath, Nathjogi |
| 23. | Ghoshi |
| 24. | Goojar/Gurjar |
| 25. | Gusai/Gosai/Gosain |
| | Gosaib |
| | Goswami/Gowsami |
| 26. | Islamic Groups: |
| | 1. Rangrej |
| | 2. Bhishti,Bhishti-Abbasi |
| | 3. Chippa/Chhipa |
| | 4. Hela |
| | 5. Bhatiyara |
| | 6. Dhobi |
| | 7. Mewati,Meo |
| | 8. Pinjara,Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhunia, Dhunkar, |
| | 9. Kunjara,Raine |
| | 10. Manihar |
| | 11. Kasai,Kasab,Kassab, Quasab,Qassab,Qassab-Qureshi |
| | 12. Mirasi |
| | 13. Barhai (Carpenter) |
| | 14. Hajjam (Barber), Nai (Barber), Salmani |
| | 15. Julaha-Momin, Julaha-Ansari , Momin-Ansari |
| | 16. Luhar, Nagauri Luhar |
| | 17. Tadavi |
| | 18. Banjara, Mukeri, Makrani |
| | 19. Mochi |
| | 20. Teli Nayata, Pindari (Pindara) |
| | 21. Kalaigar |
| | 22. Pemdi |

| | |
|---|---|
| | 23. Nalband |
| | 24. Mirdha (Excluding Jat Muslims) |
| 27. | Kachhi (Kushwaha/Koshwaha Maurya) |
| | Koyari/Koiri (Kushwaha), Shakya, Murai, |
| | Panara/Panahara, Sonkar |
| 28. | Kadere/Kadore |
| | Dhunkar, |
| | Dhuniya |
| 29. | Kalar, Kalal |
| 30. | Kalota/Kolta/Koltta |
| 31. | Karmariya |
| 32. | Kasabi/Kisbi |
| 33. | Kharol |
| 34. | Khatiya |
| | Khati |
| 35. | Kirar |
| | Kirad |
| | Dhakar/Dhakad |
| 36. | Koshta/Kosta, |
| | Kosti / Koshti |
| | Devangan |
| | Dewang |
| | Salwidewang |
| | Mala, |
| | Padamhali, |
| | Pademsali |
| | Sali |
| | Sutsali |
| | Salwar/Salewar |
| | Jendra/Jandra |
| | Koskati |
| | Garhwal Garwal. |
| | Garhewal |
| | Garewar |
| 37. | Kotwar/Kutwar |
| | Kotwal |
| 38. | Kumhar (Prajapati) |
| | Kumbhar |
| 39. | Kurmar/Kurami/Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel/Gabhel. |

| | |
|---|---|
| 40. | Lakhera/Lakher, Kachera/Kacher |
| 41. | Lodhi |
| | Lodha |
| | Lodh |
| 42. | Lohar |
| | Luhar |
| | Lohpita |
| | Gadoley, |
| | Gadela |
| | Lohpata, Lohpeta |
| | Vishwakarma |
| 43. | Loniya/Luniya/Lonia/Lunia<br>Odh,Odhe,Odhiya,Ode,Odiya, Naaniya,Muraha,<br>Muraaha, Mudaha,Mudaaha,Nunia,Nonia |
| 44. | Mali (Saini), Marar |
| 45. | Mankar |
| 46. | Meru, Mer |
| 47. | Nai (Sein, Savita, Shrivas), Mhali, Navhi/Navi |
| 48. | Nayata,Nayada |
| 49. | Panika |
| 50. | Patka, Patki, Patwa |
| 51. | Pinjara (Hindu) |
| 52. | Powar |
| | Bhoyar/Bhoyaar |
| 53. | Raghwi/Raghavi |
| 54. | Rajwar |
| 55. | Rautiya,Rotiya |
| 56. | Saices,Sahees |
| | Sayees |
| 57. | Scheduled Castes who have embraced Christianity |
| 58. | Sikligar |
| 59. | Sodhi, Sudi, Sundi |
| 60. | Sunar, Swarnakar, |
| | Jhhari, Jhhadi |
| | Awedhiya |
| | Audhiya |
| 61. | Tarha, Tirwali, Waddar |
| 62. | Teli (Rathore, Sahu) |
| 63. | Thathara, Thatera |



| | |
|---|---|
| | Kasar |
| | Kasera |
| | Tamera |
| | Tambatkar/Tamrakar |
| | Tamer |
| 64. | Vasudev |
| | Basudeva, |
| | Basudev |
| | Vasudeva |
| | Harvola |
| | Kapdia |
| | Kapdi |
| | Gondhli |

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2011/अग्रहायण 17, 1933
No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2011/AGRAHAYANA 17, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

**फा. सं. 12015/13/2010-बी.सी. II.**— जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को *अनुबंध-I* में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और *अनुबंध-II* में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने सोलह राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामशः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है;

*असम*

| *विद्यमान प्रविष्टि* | *नई प्रविष्टि* |
|---|---|
| 18. शून्य | *18. कोच-राजबोंशी** |

* एनसीबीसी की सलाह पर 03.04.1997 से "कोच-राजबोंशी" जाति/समुदाय के पुनः स्थापन के बाद (उस अवधि को छोड़कर जब "कोच-राजबोंशी" जाति/समुदाय के अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के बारे में अध्यादेश लागू था) से प्रविष्टि

*छत्तीसगढ़*

| *विद्यमान प्रविष्टि* | *संशोधित प्रविष्टि* |
|---|---|
| 3. भडभूजा, भुर्जी, धुरी या धूरी | 3. भडभूजा, ***मुंजवा***, भुर्जी, धुरी या धूरी |
| 21. गडरिया | 21. गडरिया, ***धनगर*** |
| कुरमार | कुरमार |
| हटगर | हटगर |
| हटकर | हटकर |
| हाटकार | हाटकार |
| गाड़री, गडारिया | गाड़री, गडारिया |
| गारी, | गारी |
| गायरी | गायरी , ***धारिया, घोसी (गडरिया) , गडरिया (पाल बाघले)*** |
| 26. (8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर/फकिर, बेहना, धुनिया, धुनकर | 26.(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर/फकिर, बेहना, धुनिया, धुनकर, ***मंसूरी*** |
| 26 (16) लुहार, नागौरी लुहार | 26 (16) लुहार, नागौरी लुहार, ***सैफी, मुल्तानी लुहार*** |
| *विद्यमान प्रविष्टि* | *नई प्रविष्टि* |
| 26. (25) शून्य | 26 *(25)* ***नियारगर, नियारगर - मुल्तानी, नियारिया*** |
| 26 (26) शून्य | *26 (26)* ***गद्दी*** |
| *विद्यमान प्रविष्टि* | *संशोधित प्रविष्टि* |
| 28 कड़ेरे/कड़ोरे, धुनकर, धुनिया | 28 कड़ेरे/कड़ोरे, धुनकर, धुनिया, ***धनका*** |
| 29. कलार, कलाल | 29. कलार, कलाल, ***डुडसेना*** |
| 34. खातिया, खाती | 34. खातिया, खाती, ***खाथिया*** |
| 39. कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल/गामैल | 39. कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी, गवैल/गामैल, ***कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चन्द्र नाहू, कुम्भी गावेल (गामेल), सिर्वी*** |
| 42. लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, गड़ेला, लोहपटा, लोहपेटा, विश्वकर्मा | 42. लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, गड़ेला, लोहपटा, लोहपेटा, विश्वकर्मा, ***ढुंगा लोहार, गरोला, लोहार (विश्वकर्मा)*** |
| 49. पनिका | 49. पनिका, ***पंका*** |
| 51. पिंजारा (हिन्दू) | 51. पिंजारा (हिन्दू), ***पिंजारा (हिन्दू केसरिया/कोसारिया)*** |
| 52. पवार, भोयर/भोयार | 52. पवार, भोयर/भोयार, ***पंवर*** |
| 59. सोढ़ी, सुदी, सुण्डी | 59. सोढ़ी, सुदी, सुण्डी, ***सोंधी*** |
| 60. सुनार, स्वर्णकार, झारी, झाड़ी, अवधिया, औधिया | 60. ***सोनार,*** सुनार, स्वर्णकार, झारी, झाड़ी, अयधिया, औधिया, ***झानी, सोनी (स्वर्णकार)*** |

| विद्यमान प्रविष्टि | नई प्रविष्टि |
|---|---|
| 65. शून्य | 65. *अघरिया* |
| 66. शून्य | 66. *मोवार* |
| 67. शून्य | 67. *नट (अनुसूचित जाति सूची में शामिल से भिन्न)* |

*गोवा*

| विद्यमान प्रविष्टि | नई प्रविष्टि |
|---|---|
| 17. शून्य | *17. क्रिश्चियन रेंडर्स (वे व्यक्ति जो वास्तव में ताड़ी के कारोबार में संलग्न हैं)* |
| 18. शून्य | *18. कोमरपंत* |
| 19. शून्य | *19. थाकर* |

*हिमाचल प्रदेश*

| विद्यमान प्रविष्टि | नई प्रविष्टि |
|---|---|
| 51. शून्य | 51. *सैनी* |

*झारखंड*

| विद्यमान प्रविष्टि | संशोधित प्रविष्टि |
|---|---|
| 8. बढ़ई | 8. बढ़ई, *विश्वकर्मा* |
| 13. भाट (मुस्लिम) | 13. *भाट, भट्ट,* भाट (मुस्लिम) |
| 35. गंधर्व | 35. गंधर्व, *गंदर्भ* |
| 45. केवर्त | 45. केवर्त, *कोईबरत्ता* |
| 48. कमार (लोहार, कर्मकार) | 48. कमार (लोहार, कर्मकार), *विस्वाकर्मा* |
| 63. कुर्मी (महतो) | 63. *कुर्मी,* कुर्मी (महतो) |
| 72. मल्लाह (सुरहिया) | 72. मल्लाह (सुरहिया), *केवट मुरावरी* |
| 73. मान्गर | 73. मान्गर *(मागर)* |
| 76. मौरियारी | 76. मौरियारी, *मौरियारो, मौरियारा* |
| 79. मोमिन (मुस्लिम) | 79. मोमिन (मुस्लिम), *जुलाहा, अंसारी* |
| 81. नागर | 81. नागर *(इसमें मैथली ब्राह्मण और अन्य राज्यों के अप्रवासी नागर, जो ब्राह्मण और बनियां हैं, शामिल नहीं हैं)* |
| 87. नोनिया | 87. नोनिया, *नुनिया* |
| 89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी) | 89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी), *गडेरिया* |
| 107. सोनार | 107. सोनार, *सुनार* |
| 110. तमोली | 110. तमोली, *तम्बोली* |
| 111. तांती (ततवा) | 111. तांती (ततवा), *ताति, तातीन* |
| 118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप) | 118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप), *मेहर, सदगोप* |
| 120. शून्य | *120. चिक (मुस्लिम)* |
| *विद्यमान प्रविष्टि* | *नई प्रविष्टि* |

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**RESOLUTION**

New Delhi, the 8th December, 2011

**F. No. 12015/13/2010-BC II.**—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes (OBCs) comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union territories vide Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as NCBC) set up under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been modified, on the recommendations of NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes and communities (including sub-castes and their synonyms) for inclusion or amendment in the said Central Lists in respect of sixteen States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal, and four Union territories, namely, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, National Capital Territory of Delhi and Puducherry;

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC, and have decided to notify modifications in the Central Lists of OBCs of the aforesaid States and Union territories;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusion and amendments in the said Central Lists of OBCs in respect of the aforesaid States and Union territories, as specified in the **Appendix**. These inclusions and amendments shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

## Part B

### STATE-WISE MODIFICATIONS IN THE CENTRAL LIST OF OBCs

**Assam**

| Existing Entry | New Entry |
|---|---|
| 18. Nil | **18. Koch-Rajbonshi*** |

* The entry after restoration of caste/community 'Koch-Rajbonshi' w.e.f. 03.04.1997(except for the period when ordinance regarding inclusion of the caste/community 'Koch-Rajbonshi' in the ST list was in force) as per advice of NCBC.

**Chhattisgarh**

| Existing Entry | Modified Entry |
|---|---|
| 3. Badhbhuja, Bhurji, Dhuri or Dhoori | 3. Badhbhuja, **Bhunjwa,** Bhurji, Dhuri or Dhoori |
| 21. Gadariya | 21. Gadariya, **Dhangar** |
| Kurmar | Kurmar |
| Hatgar | Hatgar |
| Hatkar | Hatkar |
| Haatkaar | Haatkaar |
| Gaadri, Gadaria | Gaadri, Gadaria |
| Gari | Gari |
| Gayari | Gayari |
| | **Dhariya, Dhosi (Gadariya), Gadariya (Pal Baghele).** |
| 26. (8). Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar. | 26. (8). Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar, **Mansoori** |
| 26.(16). Luhar, Nagauri Luhar | 26.(16). Luhar, Nagauri Luhar, **Saifi, Multani Luhar** |

| Existing Entry | New Entry |
|---|---|
| 26.(25) Nil | 26.(25) Niyargar, Niyargar-Multani, Niyaria |
| 26.(26) Nil | 26.(26) Gaddi |
| **Existing Entry** | **Modified Entry** |
| 28. Kadere/Kadore, Dhunkar, Dhuniya | 28. Kadere/Kadore, Dhunkar, Dhuniya, **Dhanka** |
| 29. Kalar, Kalal | 29. Kalar, Kalal, **Dudsena.** |
| 34. Khatiya, Khati | 34. Khatiya, Khati, **Khathiya.** |
| 39. Kurmar/ Kurami/ Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel/ Gabhel | 39. Kurmar/ Kurami/ Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi, Kulambi, Gavel / Gabhel, **Kurmvanshi, Chandrakar, Chandra Nahu, Kumbhi Gavel (Gamel), Sirvi.** |
| 42. Lohar, Luhar, Lohpita, Gadoley, Gadela, Lohpata, Lohpeta, Vishwakarma | 42. Lohar, Luhar, Lohpita, Gadoley, Gadela, Lohpata, Lohpeta, Vishwakarma, **Hunga Lohar, Garola, Lohar(Vishwakarma)**. |
| 49. Panika | 49. Panika, **Panka** |
| 51. Pinjara (Hindu) | 51. Pinjara (Hindu), **Pinjara (Hindu Kesaria/ Kosaria).** |
| 52. Powar, Bhoyar/ Bhoyaar | 52. Powar, Bhoyar/Bhoyaar, **Panwar.** |
| 59. Sodhi, Sudi, Sundi | 59. Sodhi, Sudi, Sundi, **Sondi** |
| 60. Sunar, Swarnakar, Jhhari, Jhhadi, Awedhiya, Audhiya | 60. **Sonar,** Sunar, Swarnakar, Jhhari, Jhhadi, Awedhiya, Audhiya, **Jhhani, Soni (Swarnkar).** |

| Existing Entry | New Entry |
|---|---|
| 65. Nil | 65. **Agharia** |
| 66. Nil | **66. Mowar** |
| 67. Nil | **67. Nat (other than those included in the SC List)** |

**Goa**

| Existing Entry | New Entry |
|---|---|
| 17.Nil | **17. Christian Renders** (who are actually in the profession of toddy tapping) |
| 18. Nil | **18. Komarpant** |
| 19. Nil | **19. Thakar** |

**Himachal Pradesh**

| Existing Entry | New Entry |
|---|---|
| 51. Nil | 51. **Saini** |

**Jharkhand**

| Existing Entry | Modified Entry |
|---|---|
| 8. Barhai | 8. Barhai, **Viswakarma** |
| 13 Bhat (Muslim) | 13 **Bhat, Bhatt**, Bhat (Muslim) |
| 35. Gandharb | 35. Gandharb, **Gandarbh** |
| 45 Kaivartta | 45 Kaivartta, **Kaibartta** |

# अध्याय-8
## छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
### (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) नियम 2013

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क. एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर,2013
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 (क. 13 सन् 2013) बाबत्।

---

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क. 13 सन् 2013) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 बनाए गये हैं। उक्त नियम की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2013 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है, की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR No. 1481 Date 25/10/13

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगता (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु नुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ जट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5 -2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013—भाद्र 11, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2013

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### नियम

#### अध्याय-एक

#### प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

787

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013);

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है, विहित रीति में प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा विनिश्चित अनुसार सत्यापित किया जाना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन, के द्वारा उसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को सत्यापन के लिए संदर्भित किया गया हो;

(ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन आवेदन;

(घ) "प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथापरिभाषित तथा धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ङ) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1950 तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 1950;

(च) "अन्य राज्यों से प्रवासी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो अथवा जिसका जन्म राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात, यथास्थिति, हुआ हो:

परंतु उसके पिता अथवा वैध पालक के द्वारा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात्, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो;

(छ) "अनावेदक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, वह नियोक्ता अथवा शैक्षणिक संस्थान अथवा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, जिसके द्वारा आवेदक का प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु सत्यापन समिति को निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या समय–समय पर यथा संशोधित अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची;

(ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत विहित;

(ट) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी तथा संसद द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित आदेश;

(ठ) "अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, नियम 10 के अधीन प्ररुप 4ख में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;

(ड) "नातेदार" से अभिप्रेत है, आवेदक के पितृपक्ष के रक्त संबंधी नातेदार;

(ढ) "ग्राम सभा के संकल्प" से अभिप्रेत है, आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में उस ग्राम, जहां आवेदक निवास करता है, की ग्राम सभा के द्वारा जारी कोई घोषणा, निष्कर्ष, निर्णय अथवा संकल्प, जिससे आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति, निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो सके;

(ण) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है प्रमाणपत्रों के छानबीन के लिए, अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति;

(त) "सत्यापन प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को विधिमान्य करते हुए, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी प्रमाणपत्र;

(थ) "सत्यापन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदक को जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, जिले में गठित जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

## अध्याय–दो
## सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

3. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र.– (1) आवेदक स्थायी आधार पर प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए, प्ररुप–1क में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) आवेदक स्वयं या डाक या चॉइस सेन्टर या सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(3) आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

(क) प्ररुप–2क में शपथपत्र मूल प्रति में;

(ख) आवेदक का पिछली तीन पीढ़ियों से प्रारंभ, हल्का पटवारी द्वारा सम्यक् रुप से जारी वंशवृक्ष;

(ग) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं;

(घ) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (कमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ की अधिसूचना दिनांक 23/09/2000 के पैरा (1) एवं (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित अधिकारी/कर्मचारी या उनकी संतान के आवेदक होने की स्थिति में, ऐसे

दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो कि--

(एक) आवेदक के पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे थे;

(दो) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (कमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में उन्हें आबंटित किया गया हो;

(ङ) निम्नांकित में से कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वज की जाति उपदर्शित हो अर्थात् :--

(एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);

(दो) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी;

(तीन) राज्य बंदोबस्त;

(चार) अधिकार अभिलेख (1954);

(पांच) जनगणना (1931);

(छः) वन विभाग की जमाबंदी;

(सात) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);

(आठ) जन्म या मृत्यु पंजी;

(नौ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी;

(दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र;

(ग्यारह) जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प;

(च) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में, आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र;

(छ) समुचित डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा।

(4) आवेदक, सत्यापन के समय या जब कभी भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा छानबीन समिति, यथास्थिति, के समक्ष मूल प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. आवेदन का पंजीयन. -- सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजी में विहित प्ररूप 5क में आवेदन का पंजीयन करेगा।

5. आवेदन पत्र की प्रारंभिक जाँच, पावती एवं वापसी ज्ञापन.--(1) आवेदन पत्र के पंजीयन के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी संक्षिप्त रुप से प्रारंभिक जाँच करेगा, और विनिश्चित करेगा कि आवेदनपत्र पूर्ण है अथवा नहीं, तथा उसके साथ नियम 3 के उप--नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न है तो वह

प्ररूप 3क में विहित पावती आवेदक को उपलब्ध करायेगा तथा यदि अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नही है तो प्ररूप 3ख में वापसी ज्ञापन, आवेदनपत्र की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर, आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

(2) यथास्थिति, पावती अथवा वापसी ज्ञापन, का प्रतिपर्ण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रखा जायेगा।

6. असमर्थता ज्ञापन.–(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ऐसा आवेदक, जिसने प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, यदि नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज, समुचित प्रयास के उपरांत भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह, वापसी ज्ञापन के पृष्ठ भाग में मुद्रित विहित प्ररूप 3ग में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में उसकी असमर्थता के बारे में शपथ पत्र दे सकेगा।

(2) असमर्थता ज्ञापन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा और नियम 8 के अनुसार आवेदक के दावे की जॉच करेगाः

परन्तु आवेदक, ऐसी जॉच के दौरान सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट जॉच अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा तथा संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित कराने में सभी आवश्यक सहयोग करेगा ताकि सामाजिक प्रास्थिति के उसके दावे की पुष्टि हो सके ।

7. जांचकर्ता अधिकारी.– सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर, या तो स्वयं जॉच प्रारंभ करेगा अथवा किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को जॉच हेतु निर्देशित करेगा।

8. जांच.– (1) जांचकर्ता अधिकारी, आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति, आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम एवं अन्य साक्ष्य, जो कि राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिसूचना तिथि, यथास्थिति, पर स्थायी निवासी प्रमाणित करने हेतु तथा आवेदक के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने हेतु सुसंगत हो, के संबंध में जांच करेगा।

(2) जॉचकर्ता अधिकारी नियम 3 के उप–नियम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर पालिक निगम, के दस्तावेजों की भी जॉच कर सकेगा।

(3) जॉचकर्ता अधिकारी ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उस जाति के पहले से प्रमाणपत्रधारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, के मौखिक कथन भी साक्ष्य के रूप में अभिलिखित कर सकेगा।

(4) जॉचकर्ता अधिकारी, जहॉ वह स्वयं सक्षम प्राधिकारी नहीं है, जॉच उपरांत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलिखित किए गए मौखिक कथनों के साथ अपना लिखित प्रतिवेदन स्पष्ट निष्कर्ष के साथ, जॉच आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र.– सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियम 8 के अधीन जाँच कर और जहाँ वह स्वयं जाँचकर्ता अधिकारी नहीं है, जाँचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर, अनुसूचित जाति के आवेदक को प्ररूप 4क(1) में अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्ररूप 4क(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को प्ररूप 4क(3) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. अस्थायी प्रमाणपत्र.– (1) कक्षा दसवीं तक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे स्तर पर छात्रवृत्ति अथवा शिष्यवृत्ति प्रदान करने हेतु अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु, जहां बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र की अपरिहार्यता है एवं ऐसे प्रमाणपत्र यथा समय जारी किया जाना संभव नहीं है, तो, आवेदक के द्वारा प्ररूप 2क में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 4ख में, आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिवस के अंदर, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 5ख में जारी अस्थायी प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

(2) अस्थायी प्रमाणपत्र केवल छः माह की अवधि के लिए अथवा स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।

11. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित आवेदक के लिए प्रमाणपत्र.– ऐसे मामले में जहां आवेदक अन्य राज्यों से प्रवासी हो, सक्षम अधिकारी, उस राज्य में, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट या सत्यापन समिति या सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में विस्तृत जाँच पड़ताल करने के उपरांत प्ररूप 4ग में प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परन्तु ऐसे प्रमाणपत्र धारक उस राज्य, जिससे वह प्रवासित है, में यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

12. अस्वैच्छिक प्रवास.– अविभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवक तथा निगम, आयोग, मण्डल एवं सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कैडर विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित हुये हैं, ऐसे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य, यदि वे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उनको मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में अस्वैच्छिक प्रवास किया गया समझा जायेगा, तथा उन्हे इस प्रकार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का लाभ देय होगा।

13. प्रमाणपत्र, दस्तावेज पंजी.– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र का विवरण विहित प्ररूप 5ग में दर्ज किया जायेगा।

## अध्याय–तीन
## प्रमाणपत्र का सत्यापन

14. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का गठन.– (1) राज्य शासन, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का निम्नानुसार गठन करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर; | –अध्यक्ष |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी; | –सदस्य |
| (ग) | कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी; | –सदस्य |
| (घ) | कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी; | –सदस्य |
| (ङ) | संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी; | –सदस्य |
| (च) | सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग । | –सदस्य सचिव |

(2) सत्यापन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञ अधिकारी के पद पर या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, समुचित अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) सत्यापन समितियों में नामांकित सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ अधिकारी या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी के लिए, मानदेय राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) सत्यापन समितियों की बैठकें, आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस को आयोजित की जायेगी:

परंतु समिति की बैठक, अध्यक्ष के निर्देश पर मात्र एक दिवस की अल्प सूचना पर भी आहूत की जा सकेगी।

15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भीकरण– (1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह उद्भूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रुप से या कपटपूर्वक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, तथा प्ररुप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों के लगभग 10 प्रतिशत कमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जॉच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वंतत्र नही होगा कि उसके प्रमाणपत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(3) सत्यापन समिति, किसी भी आवेदक को, उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में प्ररूप 2ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1ग में आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित कर सकेगा तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज को जो उसकी सामाजिक प्रास्थिति के सत्यापन हेतु आवश्यक हो, को प्रकट करेगा ।

(4) कोई अनावेदक, किसी प्रमाण पत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को भी निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित करावें। ऐसी स्थिति में आवेदक अपना मूल प्रमाणपत्र, प्ररूप 2 ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1 ग में आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(5) सत्यापन समिति से उप–नियम (3) के अधीन निर्देशित किए जाने अथवा अनावेदक से उप–नियम (4) के अधीन सत्यापन समिति से उसे अपना प्रमाणपत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिए जाने पर, आवेदक, शपथ पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज एक माह की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा, ऐसा करने से विफल रहने पर समिति एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी,

परंतु जहां आवेदक, सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि एक माह की विहित समयावधि के भीतर, समुचित कारणों से, आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है तो सत्यापन समिति, आवेदक के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समयावधि बढ़ा सकेगी।

16. सत्यापन समिति द्वारा आवेदन पत्र का पंजीयन.– (1) सत्यापन समिति, प्ररूप 5घ में विहित किए गए अनुसार पंजी में, आवेदक अथवा अनावेदक से सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन करेगी।

(2) सत्यापन समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर, प्ररूप 5घ में आवेदक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, को उसकी पावती प्रेषित करेगी।

17. सत्यापन समिति के द्वारा प्रमाणपत्र का सत्यापन.– (1) यदि सत्यापन समिति, आवेदन पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट हो, तो एक माह से अनधिक की अवधि के भीतर, आवेदक, उसके पालक अथवा अनावेदक को, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(1) में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(3) में सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगी:

परंतु यदि आवेदक, उसका पालक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, के द्वारा डाक से प्रेषित किए जाने का निवेदन किया जाता है, तो समिति, उसे पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, प्ररूप 5ड. में सत्यापन प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

18. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर, सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.– (1) जहां सत्यापन समिति, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदनपत्र के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित होने के पन्द्रह दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक, यदि कोई हो, को तत्संबंध में उक्त कारणों का उल्लेख करते हुए, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, सूचित करेगी तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

परन्तु सत्यापन समिति, तीन माह की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहां समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष जांच के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगा ।

(2) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाण पत्र का विवरण प्ररूप 5च में संधारित करेगी ।

## अध्याय–चार

## प्रमाणपत्रों की जॉच, निरस्तीकरण एवं जप्ती

19. उच्च स्त य प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीकरण.– (1) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन मिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप–5छ में पंजीकृत रेगी ।

20. सतर्कता कोष्ठ के माध्यम से प्रकरण की जॉच.– (1) छानबीन समिति सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्व ा उसे निर्दिष्ट प्रकरणों में संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्र को प्ररूप–6क में उप पुलिस अ क्षक के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर अग्रेषित करेगी;

(2) न पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जॉच करेगा था तदनुसार उसकी सूचना छानबीन समिति को देगा।

(3) तर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक–

( ) आवेदक के स्थानीय निवास, मूल एवं सामान्य निवास स्थान या प्रवासित होने के पूर्व उसके मूल निवास स्थान के ऐसे नगर, या शहर या गांव की तलाश करेंगे;

( ) यथास्थिति, आवेदक या उसके माता–पिता या उसके पालक, के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में सत्यता की जांच लोक दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

( ) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन सुसंगत लोक दस्तावेजों एवं विश्वसनीय प्रायवेट दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

( ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों, जो पूर्व से प्र ाणपत्र धारी हैं तथा आवेदक को भली–भॉति जानते हैं, से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा यदि उनमें से कोई मौखिक कथन देने हेतु सहमत है, तो वह स्वयं उनके मौखिक कथन तदनुसार अंकित करेंगे अथवा महत्वपूर्ण गवाहों से शपथपत्र के रूप में उनके कथन देने का अनुरोध करेंगे तथा सहमत होने की स्थिति में तदनुसार उनके शपथपत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित गवाह को देंगे;

(ड) आवेदक को स्वयं तथा आवेदक के माता–पिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये गवाहों के कथन स्वयं अंकित करेंगे अथवा उनका शपथपत्र प्राप्त करेंगे;

(च) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन से दस्तावेजों में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के संबंधित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज जप्त कर एवं उसकी पावती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे;

(छ) जांच–पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जॉच दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप पुलिस अधीक्षक, छानबीन समिति की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, जप्त दस्तावेज फोरेंसिक जॉच तथा हस्त लिपि विषेषज्ञ को समुचित टीप के साथ प्रेषित करेगा।

(5) उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों एवं फोरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राप्त निष्कर्षों के साथ आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(6) छानबीन समिति, ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी तथा यदि वह प्रतिवेदन में कोई कमी पाती है, तो पुनः ऐसी कमी को इंगित कर सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन लौटा कर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर जॉच करने हेतु निर्देशित करेगी.

(7) पुलिस निरीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रकरणों की जॉच--पड़ताल का विवरण प्ररूप--5ज के अनुसार संधारित करेंगे।

21. सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.– (1) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच प्रतिवेदन में आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा न्यायसंगत और उचित प्रतिवेदित है, तो छानबीन समिति को उस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी और वह तदनुसार संबंधित, यथास्थिति, सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन एवं आवेदक को अवगत करायेगी।

(2) यदि प्रकरण राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य शासन के स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी तथा यदि प्रकरण सत्यापन समिति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सत्यापन समिति नियम 17 में उपबंधित रीति में सत्यापन करने के उपरांत मूल एवं सत्यापित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आवेदक अथवा अनावेदक को प्रेषित करेगी।

22. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जांच.– (1) जहॉं छानबीन समिति, आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति के दावे से सतकर्ता प्रकोष्ठ के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार संतुष्ट नहीं है, तो समिति पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को विहित प्ररूप–6ख में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस देगी तथा ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि अनावेदक को भी, (यदि कोई हो तो), दी जायेगी।

(2) आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, छानबीन समिति एक बैठक आहूत करेगी, जिसमें वह आवेदक को उसके मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) छानबीन समिति, सुनवाई से संबंधित आम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में डोंडी पिटवाकर, ईश्तहार या अन्य सुविधाजनक साधनों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सके तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था को भी यदि कोई हो तो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) आवेदक को स्वयं या उसके अभिभावक को (नाबालिग आवेदक की स्थिति में) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, छानबीन समिति ऐसी जॉच कर सकेगी, जिससे वह दावे तथा अन्य आपत्तियों पर विचार कर सके।

(5) छानबीन समिति तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तामीली हेतु नोटिस अथवा समंस भेजेगी, जो प्ररूप–6ग में निर्देशित रीति अनुसार नोटिस की तामिल करेगा।

23. छानबीन समिति का निर्णय एवं तत्पश्चात् कार्यवाही.– (1) दावे पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सुनवाई के उपरांत, आवेदक के दावे की सत्यता के संबंध में छानबीन समिति की संतुष्टि होने पर वह सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, यदि ऐसा आवेदित है, तो संबंधित सत्यापन समिति को निर्देशित करेगी।

(2) आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के उसके दावे के संबंध में सुनवाई के पश्चात् यदि छानबीन समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का दावा वास्तविक नहीं है, तो वह कारण सहित आदेश पारित कर सकेगी तथा प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकेगी।

(3) छानबीन समिति उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत करने हेतु नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियॉं ऐसे अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति इस नियम के उप–नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय संबंधित कलेक्टर को जॉंच करने हेतु यह निर्देशित करेगी, कि क्या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जानबूझ कर जारी किया गया है अथवा इस बात की जानकारी रखते हुए जारी किया गया है कि ऐसा प्रमाणपत्र असत्य है अथवा क्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है तथा कलेक्टर 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) छानबीन समिति मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के पश्चात् उसे समपहृत करेगी तथा उसका विवरण प्ररूप–5झ में विहित किये गये अनुसार पंजी में अंकित करेगी तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर "निरस्त एवं समपहृत" मुद्रित किया जायेगा।

(6) छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रतियॉं अनावेदक, यदि कोई हो, तथा आवेदक को पंजीकृत डाक के द्वारा ऐसे आदेश पारित होने के तत्काल उपरांत प्रेषित की जायेंगी। यदि आवेदक अथवा कोई अन्य व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर आदेश की प्रति की मॉंग करता है, तो उचित शुल्क के भुगतान पर उस व्यक्ति को प्रदान कर दी जायेंगी।

24. मिथ्या प्रमाण पत्र धारक के विरूद्ध कार्यवाही– (1) यथास्थिति, लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान अथवा संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, का अधिकारी, जो छानबीन समिति के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, छानबीन समिति के द्वारा पारित निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर उक्त मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र धारक के विरूद्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधि. सं. 2) की धारा 154 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

25. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं दुष्प्रेरक के विरूद्ध कार्यवाही.– संबंधित जिले का कलेक्टर मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं अपराध के दुष्प्रेरक के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज करायेगा।

## अध्याय–पॉंच

## विविध

26. प्रमाण पत्र तथा सत्यापन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया.– जा आवेदक से संबंधित मूल प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र खो गया हो या चोरी हो गया हो र बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गया हो, तो निवेदन पर राज्य शा द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी अथवा सत्यापन समिति, ऐसे कार्यालय में रखे गये मूल दस्तावेजों के आधार पर उसकी द्वितीय प्रति जारी कर सकेंगे। ऐसे प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र पर "द्वितीय प्रति" का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

27. प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने की सूचना.– (1) स प्राधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति, यथास्थिति, प्रमाणपत्र जारी करने, सत्यापित करने थवा निरस्त करने के संबंध में प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर जान री प्रदर्शित करेगी तथा उसकी सूचना स्थानीय स्वायत्त संस्थानों एवं निकायों, नगर निगमों, नगर लिका, ग्राम पंचायत इत्यादि को उनके रिकार्ड के लिए तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निधा त वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भेजेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने तथा आवेदनों को निरस्त करने की जानका प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7क में राज्य शासन को भी प्रेषित करेगी।

(3) सत्यापन समिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन करने, आवेदनों के निरस्त करने, छानबीन समिति को प्रकरणों को अग्रेषित करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7ख में ाज्य शासन को प्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति, राज्य शासन तथा सत्यापन समितियों के द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों र जॉंच एवं प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण संबंधी जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप–7ग में ाज्य शासन को प्रेषित करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश ानुसार,
मनोज कुमार पिं आ, सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 13–23/2012/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22/10/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 में संशोधन बाबत्।

—:—

A.R.D

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 में संशोधन किया गया है। उक्त नियम की संशोधन अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। उक्त राजपत्र की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

28.10.20

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एस.के. सिंह) 22.10.20
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आवक/जावक क्र./3446/BCC/O.
दिनांक: 28/10/2020

–2–

// 2 //

पृ.क्र. एफ 13—23/2012/आ.प्र./1—3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16/10/2020
प्रतिलिपि :—

**सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
6. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान. मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर, अटल नगर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छ.ग.।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण—पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग.।
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट WWW.gad.cg.gov.in पर अपलोड हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 — आश्विन 23, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ–13–23/2012/आ.प्र./1–3. — छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्र. 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

### संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 15 के उप–नियम (6) के परन्तुक में, शब्द "एक माह" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "15 दिन" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**कमलप्रीत सिंह**, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ–13–23/2012/आ.प्र./1–3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–13–23/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 15–10–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**कमलप्रीत सिंह**, सचिव.

1013

# अध्याय-9

## छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 एवं गठन संबंधी आदेश

**छत्तीसगढ़ शासन,**
**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

-//अधिसूचना//-

**रायपुर, दिनांक दिसम्बर,2005**

**क्रमांक** 1560 2005/आजावि : राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय 2 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धारा 3(1) के अध्याधीन तीन सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है.

इस आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा.

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा**
**आदेशानुसार**

/

**( सुब्रत साहू )**
**विशेष सचिव,**

पृ.क्रमांक/ 1560/2005/आजावि/8906 रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर,2005

**प्रतिलिपि,**

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल,छत्तीसगढ़, राजभवन,रायपुर
2. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,छत्तीसगढ़, रायपुर
3. निज सचिव, मा.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,रायपुर
4. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव,छत्तीसगढ़ शासन,रायपुर
5. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
6. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
6. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
- शासन के समस्त विभाग, छत्तीसगढ़
8. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,छत्तीसगढ़, रायपुर
9. समस्त कलेक्टर (छत्तीसगढ़)
10. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर अग्रेषित. कृपया अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें.
11. संचालक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर
12. आर्डर बुक

21-12-05

**विशेष सचिव,**
**छत्तीसगढ़ शासन**

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2002—भाद्र 11, शक 1924

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

### अधिसूचना

क्रमांक डी-4490/479/2002/आजावि.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-4226/479/2002/आजावि, दिनांक 16 अगस्त, 2002 को अतिष्ठित करते हुए, एवं मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

### आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसी विधियां, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" एवं शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "रायपुर" स्थापित किए जाएं.

431

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए), छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

| अनुक्रमांक (1) | विधियों का नाम (2) |
|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995. |
| 2. | मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग नियम, 1997. |
| 3. | मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995. |
| 4. | मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें नियम, 1997. |
| 5. | मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999. |
| 6. | मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम, 2000. |
| 7. | वक्फ अधिनियम, 1995. |
| 8. | मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995. |
| 9. | मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 1996. |
| 10. | मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक डी-4491/479/2002/आजावि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-4490/479/2002/आजावि, दिनांक 2 सितम्बर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2002 432 (1)

Raipur, the 2nd September 2002

NOTIFICATION

No. D-4490/479/TDD/2002.—In Supersession of this department's Notification No. D/4226/479/TDD/2002 dated 16th August, 2002, and in exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-Organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2002.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the state of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the state of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" and "Bhopal" wherever they occur the word "Chhattisgarh" and "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

| S. No. (1) | Name of Laws. (2) |
|---|---|
| 1. | The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog Adhiniyam, 1995. |
| 2. | The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog Rules, 1997. |
| 3. | The Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Adhiniyam, 1995. |
| 4. | The Madhya Pradesh State Commission for Scheduled Castes Salaries and allowance and conditions of service of Chairperson and Members Rules, 1997. |
| 5. | The Madhya Pradesh Adim Jan Jation Ka Sanrakshan (Vrikshon me Hit) Adhiniyam, 1999. |
| 6. | The Madhya Pradesh Adim Jan Jation Ka Sanrakshan (Vrikshon me Hit) Rules, 2000. |
| 7. | Wakf Adhiniyam, 1995. |
| 8. | The Madhya Pradesh Rajya Pichhara Varg Ayog Adhiniyam, 1995. |
| 9. | The Madhya Pradesh Rajya Alp Sankhyak Ayog Adhiniyam, 1996. |
| 10. | The Madhya Pradesh Rajya Alp Sankhyak Ayog (Procedure) Regulations, 1996. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. DWIVEDI, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

**[ मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ), क्रमांक 291, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 1995—आषाढ़ 8, शक 1917 में प्रकाशित ]**

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्र. 7150-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. पी. एस. पिल्लई,** अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 26 सन् 1995.

# मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995.

## विषय-सूची.

**धाराएं :**


**अध्याय 1—आरंभिक**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.

**अध्याय 2—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग**

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.
4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें.
5. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी.
6. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा.
7. रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.

**अध्याय 3—आयोग के कृत्य तथा शक्तियां**

9. आयोग के कृत्य.
10. आयोग की शक्तियां.
11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियतकालिक पुनरीक्षण.

**अध्याय 4—वित्त, लेखा और संपरीक्षा**

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.
13. लेखा तथा संपरीक्षा.
14. वार्षिक रिपोर्ट.
15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

**अध्याय 5—प्रकीर्ण**

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.
17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
18. नियम बनाने की शक्ति.
19. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
20. विघटन तथा व्यावृत्ति.

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' दिनांक 20 जून 1995]

**मध्यप्रदेश अधिनियम**

क्रमांक 26 सन् 1995

## मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995

[दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

### अध्याय 1—प्रारंभिक

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

**परिभाषाएं.**

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग;

(ग) ''सूची'' से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गों की सूची जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा तैयार किया गया है;

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है;

### अध्याय 2—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

**राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.**

3. (1) राज्य सरकार, एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा.

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) तीन अशासकीय सदस्य जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हैं जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

परन्तु सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्गों में से होगा.

(ख) संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश.

**अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें.**

4. (1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष या, सदस्य का पद त्याग सकेगा.

(3) राज्य सरकार, सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति,—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है तथा कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है;

(ग) विकृतचित हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है.

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा कारित रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा.

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

**आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी.**

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है.

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए.

**वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा.**

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्ययों, जिसके अन्तर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन हैं, का भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा.

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है.

**रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.**

8. (1) आयोग जब और जितनी बार भी आवश्यक हो, अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे.

**प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना.**

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.

## अध्याय 3—आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. (1) आयोग का कृत्य होगा कि वह—

**आयोग के कृत्य.**

(क) पिछड़े वर्गों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें;

(ख) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें;

(ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें;

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दे जैसी कि वह उचित समझे;

(ङ) पिछड़े वर्ग में, सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करे;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं;

(2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहां वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगी.

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बावत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

**आयोग की शक्तियां.**

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना.

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए.

**राज्य सरकार द्वारा सूचियों का नियत-कालिक पुनरीक्षण.**

11. (1) राज्य सरकार पिछड़े वर्गों की ऐसी सूची में से उन वर्गों के नाम अपवर्जित करने के उद्देश्य से जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हैं या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से किसी भी समय पुनरीक्षण का कार्य हाथ में ले सकेगी और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके पश्चात् की दस वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती कालावधि की समाप्ति पर ऐसे पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेगी.

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लेते समय, आयोग से परामर्श करेगी.

## अध्याय 4—वित्त, लेखा और संपरीक्षा

**राज्य सरकार द्वारा अनुदान.**

12. (1) राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे.

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिये जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदैव व्यय के रूप में माना जाएगा.

**लेखा तथा संपरीक्षा.**

13. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाए.

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा.

**वार्षिक रिपोर्ट.**

14. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

**वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.**

15. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 तथा 11 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का, यदि कोई हों, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवाएगी.

## अध्याय 5—प्रकीर्ण

**आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.**

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

17. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

18. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(ग) धारा 14 के अधीन वह प्ररुप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए.

(3) इस अधिनियम केअधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

20. (1) अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21-पच्चीस-4-92, तारीख 13 मार्च, 1993 द्वारा गठित किया गया मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, धारा 3 के अधीन आयोग का गठन होने पर विघटित हो जाएगा. **विघटन तथा व्यावृत्ति.**

(2) ऐसे विघटन के होते हुए भी, उक्त आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. पी. एस. पिल्लई,** अतिरिक्त सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2007—भाद्र 21, शक 1929

### विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

क्रमांक 7889/डी. 200/21-अ/प्रा./छ. स./07.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007), एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विमला सिंह कपूर**, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 6 सन् 2007)

# छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007

**छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.**

भारत गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** 1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त माना जायेगा.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 26 सन् 1995 का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.** 2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन प्रवृत होगा.

**धारा 3 का संशोधन.** 3. मूल अधिनियम में, -

धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "सात" और परन्तुक में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "तीन" स्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

क्रमांक 7889/डी. 200/21-अ/प्रा./छ. ग./07.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विमला सिंह कपूर,** उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2007 504 (1)

## CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 6 of 2007)

## CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSODHAN) ORDINANCE, 2007.

**An Ordinance to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995).**

Promulgated by the Governor in the Fifty-eighth Year of the Republic of India.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Ordinance, 2007. **Short title and Commencement.**

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. During the period of operation of this Ordinance, Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3. **Chhattisgarh Adhiniyam No. 26 of 1995 to be temporarily amended.**

3. In the Principal Act, - **Amendment of Section 3.**

   In clause (a) of sub-section (2) of Section 3, for the word "three" the word "seven" and in proviso for the word "one" the word "three" shall be substituted.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 — भाद्रपद 4, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

क्रमांक–9623/वि.स./विधान/2020. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) जो बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव

739

740 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

## छत्तीसगढ़ विधेयक

**(क्रमांक 22 सन् 2020)**

**छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020**

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

## उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य के पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिये, राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करना चाहिये।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 में संशोधन करना आवश्यक है।

**रायपुर,**
**दिनांक 22 अगस्त, 2020**

**डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम**
**आदिम जाति विकास मंत्री,**
**(भारसाधक सदस्य)**

### उपाबंध

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 4 (1) का सुसंगत उद्धहरण :-

धारा- 4 (1) अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की शर्तें-

(1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको की वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा.

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**
**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2020 — आश्विन 21, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7709/डी. 152/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30–09–2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनीष कुमार ठाकुर,** अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 19 सन् 2020)

### छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

**धारा 4 का संशोधन.**

2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7709/डी. 152/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 13–10–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनीष कुमार ठाकुर,** अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTIGARH ACT
(No. 19 of 2020)

### THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of Section 4.**

2. For sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), the following shall be substituted, namely :-
"(1) The Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 2022 — माघ 2, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2022

क्र. 707/डी. 02/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06–01–2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार काटिया,** अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 1 सन् 2022)

### छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021

**छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.** 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा 2 का संशोधन.** 2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का कोई सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित है."

**धारा 3 का संशोधन.** 3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) में, शब्द "एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा" के पश्चात्, शब्द "तथा एक उपाध्यक्ष होगा" अंतःस्थापित किया जाये.

**धारा 4 का संशोधन.** 4 मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के पश्चात्, शब्द "उपाध्यक्ष" अंतःस्थापित किया जाये.

**धारा 6 का संशोधन.** 5 मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द ",उपाध्यक्ष" अंतःस्थापित किया जाये.

**धारा 16 का संशोधन.** 6 मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द "अध्यक्ष," के पश्चात्, शब्द "उपाध्यक्ष," अंतःस्थापित किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2022

क्र. 707/डी. 02/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>
**उमेश कुमार काटिया,** अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2022 60 (1)

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2022)

THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021. **Short title and commencement.**

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause (d) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 2.**

   "(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson and Vice-Chairperson."

3. In clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act, after the words "the Chairperson", the words "and one shall be Vice-Chairperson" shall be inserted. **Amendment of Section 3.**

4. In Section 4 of the Principal Act, after the words "the Chairperson", wherever they occur, the words ",Vice-Chairperson" shall be inserted. **Amendment of Section 4.**

5. In Section 6 of the Principal Act, after the words "the Chairperson", the words ",Vice-Chairperson" shall be inserted. **Amendment of Section 6.**

6. In Section 16 of the Principal Act, after the words "the Chairperson, ",the words "Vice-Chairperson, "shall be inserted. **Amendment of Section 16.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.

# अध्याय-10
## आयोग के प्रयास एवं उपलब्धियाँ

आयोग संपूर्ण छ.ग. राज्य में अ.पि.व. के हितार्थ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समुचित निगरानी करने के अतिरिक्त समाज प्रतिनिधियों से भेंट भी करता है तथा आयोग के समक्ष संपूर्ण राज्य से पिछड़े वर्गों की हित संवर्धन की सुझाव तथा हित सरंक्षण की शिकायत प्राप्त होती है। आयोग के पदाधिकारी प्राप्त प्रस्ताव और सुझाव पर बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत प्रासंगिक प्रस्ताव को शासन को कार्यवाही हेतु अनुशंसा प्रेषण करती है। इसर प्रकार प्राप्त शिकायतों को सिविल न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत पंजीकृत कर परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत उचित कार्यवाही प्रस्तावित कर क्रियान्वयन के संबंध में शासन के संबंधित विभाग या पक्षकार को कार्यवाही के निष्पादन हेतु प्रेषित किये जाते है। इसी क्रम में आयोग की प्रयास एवं उपलब्धियाँ अग्रप्रकार है :-

**आयोग की बैठक दिनांक 28 मार्च, 2025 को समाज प्रमुखों से प्राप्त सुझाव विषयक चर्चा :-**

सामज प्रमुखों एवं एवं अन्य के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बैठक में चर्चा की गई महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर मापदंडों की आय सीमा रू. 8.00 लाख से बढ़ाकर 15.00 लाख वार्षिक किये जाने प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत क्रीमीलेयर की आय सीमा 13.00 लाख किये जाने संबंधी अनुशंसा शासन को प्रेषित की गई है। पूर्व प्रेषित अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न कर स्मरण पत्र प्रेषण किया जावे।
2. चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग के दौरान अ.पि.व. के अभ्यर्थियों से अनावश्यक रूप से विगत 03 वर्षों का आय प्रमाण पत्र मांगे जाने संबंधी नियम/भ्रांति के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जावें।
3. बस्तर संभाग अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में एनएमडीसी शिक्षा संहयोग योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति का लाभ दिये जाने। एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजना के तहत निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं को भी प्रदाय किये जाने। जिले में स्थानीय भर्ती एवं एनएमडीसी भर्ती में जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिये जाने तथा दंतेवाड़ा जिला में सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल की स्थापना किये जाने के संबंध में आयुक्त, बस्तर संभाग एवं एनएमडीसी को पत्र लेख करते हुए प्रतिलिपि कलेक्टर को देने की अनुशंसा की गयी।
4. संरक्षित क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता संग्रहण नहीं करने वाले अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली कैम्पा निधि की राशि वहां निवासरत सभी लोगों को समान रूप से प्रदान किया जाने के संबंध में वन विभाग को पत्र लेख किया जावे।
5. छत्तीसगढ़ के शालेय स्कूली शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों में अनुच्छे 340 के तहत गठित मंडल आयोग के 40 बिन्दुओं के अनुशंसा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जावें।
6. सर्व पिछड़ा समाज के लिए जिला नारायणपुर में बालक-बालिका छात्रावस मुख्यालय में सर्वसुविधा युक्त निमार्ण किया जाने के संबंध में राज्य के समस्त जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिका प्री-मैट्रीक एवं पोस्ट-मैट्रीक छात्रावास खोले जाने हेतु विभाग को पत्र प्रेषित किया जावें।
7. एकल्वय आवासीय विद्यालय में अ.पि.व. के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित किया जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पत्र लेख किया जावे।
8. प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक शैक्षिक स्तर पर पृथक-पृथक बालक-बालिका छात्रावास संचालित किया जावें। राज्य के समस्त जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिका प्री मैट्रीक एवं पोस्ट मैट्रीक छात्रावास खोले जाने हेतु विभाग को पत्र प्रेषित करने निर्देश दिया गया।
9. माध्यमिक शाला से महाविद्यालय तक के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति में वृद्धि किया जाने के संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं सचिव छमैञ्ज को पत्र लिख कर प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।
10. छ.ग. राज्य अ.पि.व. बाहुल्य होने के बाद भी राज्य में अ.पि.व. के छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाले विद्यालय की बहुत कमी है। राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देने हेतु संचालित क्रीड़ा परिसर की तर्ज पर अ.पि.व. हेतु नवीन क्रीड़ा परिसर संचालित किये जाने के संबंध में छ.ग. के प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु क्रीडा परिसर खोले जोन पर प्रस्ताव बनाकर प्रेषण किया जावे।

# आयोग की उपलब्धियाँ

आयोग को प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों के आवेदकों द्वारा प्रतिवेदित अवधि में प्रेषित धन्यवाद पत्र इस भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है :-

प्रति,

सचिव
छ०ग० रा० पि० वर्ग
आयोग रायपुर

विषय :- मेरे द्वारा दी गई शिकायत पर कोई कार्यवाही न चाहने बाबत

महोदय,

आपसे निवेदन है कि मैं नीरज कुमार पिता स्व. श्री संजय कुमार ग्रा० कुपेलेरा पो. दर्री था. गुरूर जि० बालोद का निवासी हूं मैंने अपनी पैतृक संपत्ति की बंटवारा एवं मेरे चाचा नरनलाल द्वारा अनाधिकृत रूप से मेरे जमीन की नापजोख एवं सीमांकन कर मेरे जमीन पर खड़ी गड्ढा कर कब्जा करने के संबंध में शिकायत किया था किंतु मेरे चाचा द्वारा दिनांक 13/05/2024 को कराया गया सीमांकन में मेरी पैतृक संपत्ति मे किसी भी प्रकार की कमी या ज्यादा नही होना पाया गया है जिससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं मैं अपनी शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहता हूं

कृपया मेरी दी गई शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नही कीया जावे.

ARO
Rcvd
30/05/24

आवक/जावक क्र./144/BCCIO,
दिनांक: 30/05/2024

दिनांक - 29/05/2024

आवेदक
नाम- नीरज कुमार/स्व: संजय कु.
ग्रा० कुपेरा
थाना- गुरूर
mob- 797488965।

प्रति

श्रीमान सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
शहीद भगत सिंह चौक, शंकर नगर चौपाटी
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मेरे शिकायत आवेदन पर कार्यवाही करने पर धन्यवाद बाबत्

ARD
Bsch.
29/05/2024

महोदय जी,

आयोग द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में त्वरित कार्यवाही की आयोग द्वारा मेरी शिकायत पर कार्यवाही के उपरांत मेरी शिकायत का निराकरण हो गया उसके लिए आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही हेतु आयोग की पहल सराहनीय है। मैं सादर धन्यवाद करता हूँ।

जावक/आवक क्र. 138/BCC/O.
दिनांक: 29/05/2024

Recd
29/05/24

(हस्ताक्षर)
आवेदक
शिवकेश्वर कुमार साहू

प्रति,

सचिव महोदय
पिछड़ा वर्ग आयोग
शंकर नगर रायपुर,

विषयः– धन्यवाद पत्र।

महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि मैं और मेरी पत्नी गौरव यदु/कामिनी यदु, यदु ठेठवार समाज, अम्बागढ़ चौकी द्वारा समाज से बहिष्कृत किये जाने की शिकायत किये थे, जिसमें आपके द्वारा सख्त कार्यवाही किये जाने के उपरांत मुझे समाज की मुख्य धारा में तत्काल जोड़ दिया गया। जिसके बाद हम लोग पुरे समाज में आना जाना प्रारंभ कर दिये है।

आपके प्रयास से आज हमें नई ऊर्जा का संचार हुआ और हमारे समाज को नई दिशा एवं दशा दिखाने के लिए मैं और मेरा परिवार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

ARO
18/07/24

आवक/जावक क्र./213/BCC/O.
दिनांक: 18/07/2024.

सादर

10/7/2024

भवदीय

(गौरव यदु)

(कामिनी यदु)
ग्राम पांगरी,
पोस्ट/थाना– अम्बागढ़ चौकी,
जिला मोहला–मानपुर–चौकी

प्रति,

श्रीमान सचिव महोदय
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय- श्रीमान के का कोटि-कोटि आभार प्रदर्शन।

महोदय,

परम आदरणीय श्रीमान महोदय द्वारा आवेदक की पुत्री कु० आकृति साहू पिता सुरेश कुमार साहू ग्राम महोरा तहसील पटना जिला कोरिया (छ.ग.) के नान क्रिमिलेयर होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा अपात्र घोषित करने पर श्रीमान के समक्ष नान क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र दिलाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पे श्रीमान द्वारा त्वरित कार्यवाही करके कु०आकृति साहू को नान क्रिमिलेयर स्थायी प्रमाण पत्र दिलाया गया, एवं मेरी पुत्री कु० आकृति साहू को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पात्रता दिला करके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्रदान किया गया है।

अतः श्रीमान के इस पुनीत कार्य के लिए आवेदक, श्रीमान का तहे दिल से कोटि-कोटि आभारी है।

धन्यवाद।

दिनांक 13/08/2024

आभारी
13/8/24
सुरेश कुमार साहू
ग्राम महोरा
तहसील पटना
जिला कोरिया (छ.ग.)

जावक/आवक क्र. /251/BCC/O.
दिनांक: 20/08/2024

ARO
Brah
20/08/24

दिनांक: 10/07/2024

प्रति,

सचिव महोदय

पिछड़ा वर्ग विभाग रायपुर (छ.ग.)

विषय: प्रकरण पूर्ण होने पर आभार पत्र।

महोदय जी;

यह कि; मैं सोहन कुमार पिता: स्व. श्री रामसिंग साहू पता: ग्राम पंचायत टांडा, थाना धरसिंवा जिला रायपुर (छ.ग.) ने पिछड़ा वर्ग विभाग रायपुर मे इंडसइंड बैंक रायपुर के विरुद्ध वाहन क्रमांक CG04NA 9576 के किस्तो मे अतिरिक्त शुल्क के संबंध मे प्रकरण दर्ज कराया था।

ARO BCC 16/08/24

महोदय जी; यह कि आप/आपके विभाग के मदद से प्रकरण पूर्ण हुआ और वाहन की किस्त पूर्ण होने एवं NO DUES CERTIFICATE (NDC) भी मिल गया जिसके लिए मैं सोहन कुमार प्रकरण पूर्ण होने की जानकारी देते हुए माननीय महोदय जी एवं पिछड़ा वर्ग विभाग का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं।

259/BCCG दिनांक: 23/08/24

सहृदय धन्यवाद !!

आवेदक:

सोहन कुमार

10/07/2024

मो.नं. 9926911637

8827754741

दिनांक 30/08/2024

प्रति

अध्यक्ष, सचिव

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (छ.ग.)

विषय :- मेरे द्वारा शिकायत प्रेषित करने उपरान्त आयोग द्वारा निराकरण करने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करने हेतु बाबत।

ARO
30/08/24

आवक / जावक क्र. / 2637/BCC/O.
दिनांक : 30/08/2024

महोदय,

मुझे श्रीबालाजी हास्पिटल मोवा द्वारा UAN प्रदान नहीं करने पर, मेरे द्वारा आयोग में UAN के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका आयोग मे त्वरित संज्ञान लेते हुए. मुझे UAN प्रदान किया गया, जिसके लिए मैं आयोग का सदैव आभारी रहूंगा।

आवेदक

हरीश कुमार साहू
ग्रा. चिंवरी, पो. सिर्री
तह.-कुरूद, जिला- धमतरी
(छ.ग.) 7580801007

सेवा में,
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
~~अनुसूचित जनजाति विभाग~~
रायपुर (छ.ग.)

विषय- धन्यवाद बाबत

सचिव महोदय,

मैं (अभिनव सोनी) प्रयास विद्यालय रायपुर मे कार्यरथ था। विगत 8 माह से मेरा वेतन (270000/-) मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। विभाग मे आवेदन लगाने पर उचित कार्यवाही करते हुए मुझे मेरा बकाया वेतन प्राप्त हुआ। मैं विभाग सचिव तथा सभी सहकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

धन्यवाद

दिनांक:
3/9/24

अभिनव सोनी
(हस्ताक्षर)

आवक / जावक क्र. 270/BCC/O.
दिनांक: 3/9/2024

प्रति,

सचिव महोदय
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर

विषय :- आभार व्यक्त करने हेतु पत्र,

महोदय,

मैं इस पत्र के माध्यम से आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे भविष्य मे आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओ के लिए central OBC NCL certificate की आवश्यकता है। जिसके लिए मैंने "अनुविभागीय अधिकारी" सैलुंगा को आवेदन लिखा, पर उनके द्वारा मेरे पिता जी का आय OBC NCL criteria से अधिक होने का कारण बताकर उस पर sign नहीं किया।

इस सम्बंध मे मैंने छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कि मदद ली। जिनके द्वारा मेरी समस्या को सुना व समझा गया एवं "अनुविभागीय अधिकारी" सैलुंगा को OBC NCL के नियमो व शर्तो से अवगत कराया गया। जिसके बाद मुझे "अनुविभागीय अधिकारी" सैलुंगा से OBC NCL certificate प्राप्त हुआ।

अतः मेरी समस्या सुलझाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का धन्यवाद करता हुँ।

ARO
Read
/11/24

आवक / जावक क्र. 3861/BCCIO.
दिनांक 2/11/2024

Patel
आपका आभारी
नागेन्द्र पटेल
S/o श्यामनिधि पटेल

प्रति,

सचिव महोदय
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर, छ.ग.

विषय :- धन्यवाद करने हेतु पत्र

महोदय,

सादर सनम्र निवेदन है कि मैं पंकज चन्द्राकर RAEO-23 के Document Verification के दौरान OBC आयोग रायपुर आया था जहां से मुझे बहुत ही Positive Response प्राप्त हुआ। आयोग के पहल से मैं RAEO के पद पर चयनित हुआ अत: मैं OBC आयोग के सहयोग हेतु उनका धन्यवाद करता हूँ।

ARO 15/01/25

आवक / जावक क्र. / 18 /BCCIO.
दिनांक 15/01/25

धन्यवाद

प्रार्थी
पंकज चन्द्राकर
निवासी - बेलीबांधा, रायपुर
मो.न. - 8462989594

दिनांक
15-01-2025

# अध्याय-11

## पिछड़ा वर्ग से संबंधित शासन के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

# अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश

**उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण :-**

ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रमाण-पत्रों की जांच करने की आवश्यकता है यथा आवेदक की जाति और उस जाति के अधिसूचित स्थान के बारे में विनिश्चय किया जाना हो, आवेदक द्वारा असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी तरीकों से अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो तथा ऐसे समस्त प्रकरणों में यह शिकायत की गई हो कि असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी तरीके से सामाजिक प्रास्थिति (जाति) प्रमाण पत्र प्राप्त कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर ली गई हो आदि प्रकरणों की जांच किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तारतम्य में भारत सरकार कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के 16 मार्च 1999 को उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति विषयांकित परिपत्र जो समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित है में भारत सरकार द्वारा जाति/समुदाय संबंधी प्रमाण पत्रों के उचित सत्यापन हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा दोष्ज्ञी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने, उम्मीदवार का दावा झूठा होने पर उसकी सेवाएं समाप्त करने संबंधी अनुसूचितत जाति/अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के तृतीय प्रतिवेदन में निहित उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी निर्णय लिया है। (परिशिष्ट - 39)

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 08.09.1997 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्व्ज़रा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में छानबीन समिति का गठन एवं समिति का कार्यक्षेत्र संबंधी आदेश दिनांक 14.02.2001 एवं 27.02.2001 को जारी किया गया था। (परिशिष्ट - 40)

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ''माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति'' विषयांकित परिपत्र दिनांक 28.11.2006 जारी किया गया है, जिसमें संलग्न भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्र. दिनांक 16.03. 1999 में उल्लेखित व्यवस्था/प्रक्रिया अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में लागू किये जाने के निर्देश है। (परिशिष्ट - 41)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13–4/2006/1–3 रायपुर, दिनांक 28 नवंबर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग.राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन /स्वीकृति।

कई बार अपात्र/गैर अनुसूचित जाति/ गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का गलत/ फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शासकीय सेवाओं में नियुक्ति/ पदोन्नति प्राप्त कर ली जाती है। इसी प्रकार अपात्र व्यक्ति चिकित्सा/ अभियांत्रिकीय तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्कमों में आरक्षण के आधार पर प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं। लोक सभा, विधान सभा एवं स्थानीय निकायों के आरक्षित स्थानों पर अपनी उम्मीदवारी/ पद भी कई बार अपात्र व्यक्ति प्राप्त कर लेते है । इससे वास्तविक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को संवैधानिक लाभ से वंचित होना पड़ता है।

2/ इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञाप क. 36036/8198 स्थापना (आरक्षण) दिनांक 16 मार्च, 1999 (सुलभ संदर्भ हेतु फोटोप्रति संलग्न) में निहित निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय :–

भारत सरकार के इस परिपत्र में उल्लेखित व्यवस्था/प्रक्रिया अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी लागू की जानी है ।

.....2.....

नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति आदेश मे निम्नानुसार एक खंड शामिल किया जाना चाहिए:-

"यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्रवाई, जो की जा सकती है संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ।"

4/ कृपया इस निर्देश को अपने विभाग के अंतग्त कार्यरत समस्त कार्यालयो को पृष्टांकित करें तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

( एस.आर. सेजकर ) 28/11/06
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 13-4/2006/1-3 रायपुर, दिनांक 28 नवंबर, 2006

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. रजिस्ट्रार , छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. माननीय मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, छत्तीसगढ़
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन , रायपुर की ओर सूचनार्थ
10. आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,नई दिल्ली
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर

उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर

.......3......

13. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
14. अवर सचिव/स्थापना / अधीक्षण/ अभिलेख/ मुख्यलेखाधिकारी मंत्रालय रायपुर छ.ग.
15. मुख्यसचिव, के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय छ.ग. रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.आर. सेजकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 19/9/2013
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
**छत्तीसगढ़.**

**विषय :– अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण।**

संदर्भ :– सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 9–3/2001/1–3, दिनांक 24.06.2009 संमसख्यक परिपत्र दिनांक 02.06.2011 एवं दिनांक 10.06.2013.

----------

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड जारी किए गए हैं, तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि करने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्‌द्वारा भी संशोधन किया गया है। अनेक माध्यम से मूल मापदण्डों में आंशिक, शाब्दिक त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षित करने के फलस्वरूप उनमें संशोधन तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों को शामिल कर एकजाई मापदण्ड जारी किए जा रहें हैं, जो संलग्न है।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

16/9/13
(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

19/9/13

–2–

–2–

पृ.क.एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 19/09/ 2013

प्रतिलिपिः–

**सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर
6. माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निज सचिव /निज सहायक, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर,बिलासपुर, छ.ग.।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.।
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।

16/9/13

**अवर सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

## क्रीमीलेयर के मापदण्ड

| क्र. | प्रवर्ग का वर्णन | क्र. | अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | संवैधानिक पद | 1. | निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं) |
| | | (क) | भारत के राष्ट्रपति |
| | | (ख) | भारत के उपराष्ट्रपति |
| | | (ग) | उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश. |
| | | (घ) | संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक |
| | | (ड़) | समान स्वरूप के संवैधानिक पदों का धारण करने वाले व्यक्ति |
| 2. | सेवा प्रवर्ग (सर्विस केटेगरी) | | निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) |
| (क) | अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह–ए /वर्ग–1 अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त) | (क) | जिनके माता–पिता दोनो ही वर्ग–I अधिकारी है। |
| | | (ख) | जिनके माता–पिता में से कोई एक वर्ग–I अधिकारी है। |
| | | (ग) | जिनके माता–पिता में से दोनों ही वर्ग–I अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है। |
| | | (घ) | जिनके माता–पिता में से एक वर्ग–I अधिकारी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो। |

–4–

(ङ) जिनके माता–पिता दोनों ही वर्ग–I के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थाई तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

परन्तु अपर्वजन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

(i) उनकी पुत्र एवं पुत्रियां जिनके माता–पिता में से कोई एक या दोनों वर्ग–I अधिकारी है किन्तु उसकी /उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह वर्ग–I अधिकारी से हुआ है, भले ही अधिकारी पिछड़ा वर्ग का हो अथवा नहीं, तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।

(iii) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–I का अधिकारी है तथा वह सेवानिवृत्त हो चुका है।

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | **केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह बी/वर्ग– II के अधिकारी (सीधी भरती) द्वारा नियुक्त।** | **निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)**<br>(क) जिनके माता/पिता दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी है।<br>(ख) जिनके माता, पिता में से केवल पति वर्ग–II का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व आयु में वर्ग–I अधिकारी बनता है। |

—5—

–5–

(ग) जिनके माता, पिता दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता हैं एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता से पूर्व किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(घ) जिनके माता, पिता में से पति वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी वर्ग–II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाय, अथवा अस्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, तथा

(ङ) जिनके माता–पिता में से पत्नी वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) एवं पति वर्ग–II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाये, अथवा यह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये।

परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं)

(क) जिनके माता, पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

–6–

(ख) जिनके माता तथा पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती हैं अथवा दोनों ही स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(ग) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–II का अधिकारी है तथा वह सेवानिवृत्त हो चुका है।

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी | इस प्रवर्ग में उपर्युक्त "क" तथा "ख" में बताया गया मापदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा। साथ ही गैर सरकारी (प्रायवेट) समकक्ष या समतुल्य पदों एवं स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में समकक्ष या तुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन लंबित है तो निम्न प्रवर्ग VI में अंकित मापदण्ड इन संस्थानों के अधिकारियों पर लागू होंगे। |
| 3. | सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है) | उन माता, पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है परन्तु, |

–7–

–7–

(एक) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जायेगी।

(दो) पति तथा पत्नी के कर्नल के नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं किया जायेगा।

(तीन) यहाँ तक की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह पद संख्या–2 के तहत् सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए। ऐसे मामले में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्ते उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।

विशेष टीप : प्रवर्ग 2 के (क) एवं (ख) तथा प्रवर्ग–3 के अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं सशस्त्र सेना, जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

| | | |
|---|---|---|
| 4. | व्यावसायिक : वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हो, | प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। |
| (1) | चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउण्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, | |

–8–

| | | | |
|---|---|---|---|
| | लेखक, नाटककार, पेशेवर खिलाड़ी खेल व्यवसायी जनसंचार व्यवसायी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति। | | |
| (2) | व्यापार, कारोबार तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति | | प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा।<br>स्पष्टीकरण – |
| | | (1) | चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा। |
| | | (2) | यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। |
| 5. | सम्पत्ति धारक | (एक) | एक ही परिवार (माता–पिता अव्यस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं) जो निम्नलिखित के स्वामी हैं. |
| (क) | कृषि क्षेत्र | (एक) | सिंचित क्षेत्र प्रवर्ग–6 के समक्ष, विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होंगे। |
| | | (दो) | यदि परिवार के पास जोत क्षेत्र है, वह पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है, तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा। |
| (ख) | बागान | | |
| (एक) | कॉफी, चाय, रबर आदि | | नीचे प्रवर्ग–6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा। |
| (दो) | आम, खट्टे फल, सेव के बाग आदि | | इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जावेगा इसलिए इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" मापदण्ड लागू होगा। |

–9–

–9–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ग) | शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में भवन और / या खाली भूमि | | नीचे प्रवर्ग–6 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण :– भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है। |
| 6. | आय / सम्पत्ति आंकलन | (क) | उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियॉं, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय **(रूपये 6.00 लाख) (रूपये छः लाख)** या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है। |
| | | (ख) | श्रेणी–I,II,III, और V-क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय / सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी के पुत्र और पुत्रियॉं। |
| | | (i) | स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। |
| | | (ii) | रूपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मापदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जायेगा। परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतर अवधि कम भी हो सकती है। |

स्पष्टीकरण :– (1) इस अनुसूची में जहां कहीं भी ''स्थायी अक्षमता'' का प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये नहीं रखा जा सके।

––––XXXX––––

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–6/2013/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 15/11/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

**विषयः–** **अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय सीमा में वृद्धि।**

**संदर्भः–** **इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 9–3/2001/1–3 दिनांक 19.09.2013.**

—:0:—

अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 19.09.2013 द्वारा पूर्व निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू. 4.50 लाख को बढ़ाकर रू. 6.00 लाख किया गया है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक 36033/1/2013– Estt.(Res.) दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने हेतु आय सीमा को रू. 6.00 लाख को बढ़ाकर रू. 8.00 लाख कर दिया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों में (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान में निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू. 6.00 लाख (रूपये छः लाख) को बढ़ाकर रू. 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) किया जाए।

4/ तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3 दिनांक 19.09.2013 द्वारा जारी कीमीलेयर के मापदण्डों के कमांक 6(क) में उल्लिखित कुल वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख (रूपये छः लाख) के स्थान पर रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) संशोधित करता है।

5/ उपरोक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

**(के.आर. मिश्रा)**
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

— 2 —

//2//

पृ0 क्रमांक एफ 13–6/2013/आ.प्र./1–3  नया रायपुर, दिनांक 15/11/2017

प्रतिलिपिः–

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर।
05. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, त्रिकूट–1, भीकाजी काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
06. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
07. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
08. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
09. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
10. मान. मंत्रीगण/मान. संसदीय सचिव गण के विशेष सहायक/निज सचिव, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
11. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
12. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
15. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
16. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सामान्य प्रशासन को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित।
17. राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग, की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gadonline** में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

15/11/17
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

95
16/11/17

No. 1616
Date 16/11/17

16/11/17

श्री तारा
16/11/17

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 13–10/2019/आ.प्र/1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/09/2019

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

2. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम,
   छत्तीसगढ़

3. **समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी**
   नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़

**विषयः– नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।**

---

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) **अधिनियम, 2013** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य शासन द्वारा "छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) **नियम, 2013** अधिसूचित किये गये हैं। उक्त अधिनियम एवं नियम के विधिक प्रावधानों को सरल भाषा में समझाने के लिए इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013 द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उक्त नियमों का **अध्याय– दो** सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है जिसमें **नियम 3** के **उपनियम (3)** के **खण्ड (ड़)** के **उपखण्ड (एक) से (दस)** में विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख है, जिसमें से कोई दस्तावेज जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वज की जाति उपदर्शित हो, आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, वहां ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प मान्य करने का प्रावधान उपखण्ड (ग्यारह) में उपलब्ध है।

2/ इस विभाग द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्र दिनांक 24.09.2013 की कंडिका 2.2 में छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों जिन्हें उनकी जाति प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराना अत्यंत कठिन हो, के मामलों में ग्राम सभा की उद्घोषणा को मान्यता प्रदान करने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–6–55/पं.ग्रा.वि.वि./2013 दिनांक 26.8.2013 द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लेख किया गया है।

क्रमशः..2

— 2 —

3/ छत्तीसगढ़ राज्य में छोटे–छोटे ग्राम नगर पंचायतों में परिवर्तित हो गए हैं। अतः नगर पंचायत के निवासियों, जिनके पास उनकी जाति के संबंध में कोई अन्य साक्ष्य न हो, उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई न हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 8.6.2015 में की गई अनुशंसा अनुसार, **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग परिपत्र कमांक 9189/7136/2010/18 दिनांक 14.12.2015 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं।** उक्त निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा के साथ साथ **नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् के पारित संकल्प** को भी साक्ष्य माना गया है।

4/ उक्त निर्देशों के अनुरूप ही, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा **समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम को परिपत्र कमांक 320/7136/2010/18 दिनांक 11.01.2018** द्वारा **नगर पालिक निगमों (शहरी क्षेत्रों) में निवासरत व्यक्तियों/परिवारों** की पहचान करने एवं उनकी जाति तथा मूल निवास के संबंध में लोक/निजी दस्तावेजों में साक्ष्य उपलब्ध न होने पर, उनके **मामलों में सामान्य–सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्‌घोषणा द्वारा** उनकी जाति एवं निर्दिष्ट तारीख को उनके/पूर्वजों के मूल निवास स्थान के संबंध में कार्यवाही करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

5/ **तथापि शासन के ध्यान में बात आई है कि** छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत बहुत से आवेदकों को उनके विभिन्न शैक्षणिक एवं राजस्व अभिलेखों में अधिसूचित वास्तविक जाति के स्थान पर "धर्म का नाम" अंकित होने एवं पूर्व के अभिलेखों में उनकी जाति स्पष्ट रूप से अंकित नही होने के कारण, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है। कई आवेदकों के पास ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है।

6/ अतः जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आपका ध्यान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उपरोक्त परिपत्रों द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाकर, उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्‌घोषणा को जाति तथा मुल निवास के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

**(डॉ.कमलप्रीत सिंह)**
**सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क.एफ 13–10/2019/आ.प्र/1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/09/2019

**प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव(स्वतंत्र प्रभार), छत्तीसगढ़ शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर।

— 3

— 3 —

5. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
9. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
11. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव गण मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
12. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
14. सचिव, लोक आयोग गांधी चौक, रायपुर।
15 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
16. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
17. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़।
18. संचालक, जनसंपर्क, नवा रायपुर, अटल नगर।
19. आयुक्त/संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर।
20. आयुक्त/संचालक, जाति प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति, कार्यालय, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर।
21. समस्त अध्यक्ष, जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय सत्यापन समिति, छत्तीसगढ़।
22. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
23. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल रायपुर।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
25. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर

क. एफ 9—3/2001/आ.प्र./1—3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/10/2019

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :— अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कीमीलेयर के मापदण्ड में संशोधन के संबंध में।
संदर्भ :— सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक एफ 9—3/2001/आ.प्र./1—3 दिनांक 19.9.2013

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। उक्त परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए कीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण के संबंध में विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक 36033/3/2004—स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 में दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9—3/2001/आ.प्र./1—3, दिनांक 19.9.2013 की कंडिका 6. आय/सम्पत्ति आंकलन (ख) (i) में दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लिखित **"संयुक्त रूप से" शब्दों को विलोपित करता है।**

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क. एफ 9—3/2001/आ.प्र./1—3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/10/2019

प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाइंट, रायपुर।

कमशः..2

/2/

6. समस्त निज सचिव/निज सहायक मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
8. सचिव समस्त निगम/मंडल/आयोग, छत्तीसगढ़
9. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, नवा रायपुर।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
13. संचालक, राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर इस परिपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

**की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।**

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्र. 1466/1158/2019/आ.प्र./1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/11/2019

प्रति,
सचिव,
छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
पता–सी–21, रवि नगर, कलेक्टोरेट के पीछे,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :–अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित कीमीलेयर मापदण्ड में "संयुक्त रूप से" शब्द विलोपन बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 1070/पिवआ/2019, दिनांक 20.8.2019.

---:---

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त के संबंध में आदेशानुसार अवगत कराया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक 36033/3/2004–स्था. (आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 में दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3, दिनांक 18.10.2019 द्वारा इस विभाग के पूर्व में जारी परिपत्र कमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3, दिनांक 19.9.2013 की कंडिका 6 आय/सम्पत्ति आंकलन (ख) (i) में दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लेखित "संयुक्त रूप से" शब्दों को विलोपित किया गया है।

ARO
5/12/19

आवक जावक क्र./BCC/0 870/05.12.2019

(एस.के.सिंह) 28.11.19
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर

क्र. एफ 9—3/2001/आ.प्र./1—3, नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :—अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर व नॉन क्रीमीलेयर) निर्धारण संबंधी निर्धारित मापदण्ड का पालन कराने बाबत्।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निर्देश कमांक 36033/5/2004—स्थापना (आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 में अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर व नॉन क्रीमीलेयर के लोगों के संबंध में आय सम्पति के आंकलन के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण दिये गये है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि, वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को जोड़ा नहीं जाएगा। जिसके तहत केन्द्र व राज्य सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के संबंध में क्रीमीलेयर व नॉन क्रीमीलेयर निर्धारण करने के संबंध में मापदण्ड निर्धारित है।

2/ समय—समय पर भारत सरकार से प्राप्त दिशा—निर्देशों के तहत ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के संबंध में परिपत्र जारी किये गये है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों के संबंध में परिपत्र कमांक एफ 9—3/2001/आ.प्र./1—3 दिनांक 19.09.2013 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.10.2019 जारी किये गये हैं। जो स्वयं स्पष्ट हैं।

3/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि, अन्य पिछड़ा वर्ग के (क्रीमीलेयर व नॉन क्रीमीलेयर) प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तथा अनेक भ्रांतियॉं व्याप्त है।

4/ अतः आपके जिले के अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के क्रीमीलेयर के मापदण्डों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः..2

/2/

पृ क्र एफ 9-3/2001/आ.प्र./1-3.
प्रतिलिपि - नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2021

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाइंट, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
7. रजिस्ट्रार जनरल मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
8. समस्त निज सचिव/निज सहायक मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
9. सचिव समस्त निगम/मंडल/आयोग, छत्तीसगढ़।
10. संचालक, जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, नवा रायपुर।
11. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
12. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
13. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर इस परिपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in मे अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 13–2/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 06/05/2022

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :– विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाकर शाला में वितरण कराने बाबत्।

---

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि, प्रदेश के विभिन्न जिलों की शालाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त किये जाने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण उन्हें उच्च कक्षा/शिक्षा एवं शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने एवं प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है।

2/ राज्य शासन द्वारा उक्त संबंध में निर्णय लेते हुए निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त शासकीय/निजी शालाओं एवं केन्द्रीय बोर्ड की शालाओं में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु उनकी शालाओं में अध्ययनरत् होने के दौरान ही विशेष अभियान के तहत शिविर का आयोजन कर निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनके स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार कर शालाओं में वितरित किया जाये।

3/ उक्त शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष निरंतर रूप से जारी रखा जावे।

4/ उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

आवक/जावक क्र. /BCC/O.
दिनांक 12/05/2022

P.S./A.R.O.

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः..2

/2/

पृ.क्रमांक एफ 13–2/2022/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 06/05/2022
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मान.मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
7. अवर सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
10. अध्यक्ष/सचिव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
11. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
12. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नया रायपुर की ओर इस आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in पर अपलोड हेतु।

**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

# अध्याय-12

## आयोग का लेखा-जोखा

# पिछड़ा वर्ग आयोग का वित्तीय बजट में आय-व्यय का विवरण

## वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत आयोग को प्राप्त बजट के आय-व्यय का विवरण (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में ''माँग संख्या-66, मुख्य शीर्ष- 2225, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 03- पिछड़े वर्गो का कल्याण, 102-आर्थिक विकास-आयोजनेत्तर-योजना क्रमांक-6749-राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग'' में मदवार कुल रू. 1,95,90,000 का बजट प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध में मदवार व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रं. | मदवार विवरण | प्राप्त आबंटन | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 01—001 वेतन | 6000000 | 2645756 |
| 2. | 01—003 मंहगाई भत्ता | 3000000 | 1276588 |
| 3. | 01—006 मकान किराया भत्ता | 200000 | 237102 |
| 4. | 01—014 अन्य भत्ता | 50000 | 18000 |
| 5. | 01—015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 500000 | 101354 |
| 6. | 01—020 त्यौहार अग्रिम | 20000 | 20000 |
| 7. | 02—004 अन्य आकस्मिक मजदूरी | 100000 | 32358 |
| 8. | 02—005 दैनिक मजदूरी | 2500000 | 516958 |
| 9. | 03—001 यात्रा भत्ता | 350000 | 38290 |
| 10. | 04—001 डाक तार | 50000 | 20000 |
| 11. | 04—002 दूरभाष | 70000 | 47127 |
| 12. | 04—003 फर्नीचर | 150000 | 97999 |
| 13. | 04—004 नियतकालीन पत्र पत्रिकाएँ | 100000 | 2190 |
| 14. | 04—005 विद्युत | 500000 | 161690 |
| 15. | 04—006 वर्दिया | 10000 | 0 |
| 16. | 04—007 लेखन सामाग्री | 300000 | 42506 |
| 17. | 04—008 अन्य आकस्मिक व्यय | 300000 | 75269 |
| 18. | 04—009 सूचना प्रौद्योगिकी | 200000 | 92000 |
| 19. | 04—011 पेट्रोल तेल | 2500000 | 0 |
| 21. | 06—000 सर्वेक्षण | 300000 | 0 |
| 22. | 08—000 प्रकाशन | 700000 | 100018 |
| 23. | 09—000 प्रचार—प्रसार | 700000 | 0 |
| 24. | 17—000 सम्मेलन | 500000 | 0 |
| 25. | 24—001 मोटर गाड़ी | 20000 | 0 |
| 26. | 24—002 मशीन तथा उपकरण | 20000 | 0 |
| 27. | 25—006 सामग्री पूर्तिया — अन्य व्यय | 200000 | 0 |
| 28. | 57—000 आतिथ्य व्यय | 250000 | 20470 |
| | योग राशि | **19590000** | **5545675** |

# अध्याय-13

## छपते-छपते

**प्रतिवेदित अवधि में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े वर्गो के हित संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान के लिए राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिवेदित अवधि में प्रकाशित समाचार पत्रों एवं छायात्रिच का विवरण इस प्रकार है :-**

**आचार संहिता ने रोकी सुनवाई, एसटी आयोग में दो हजार से अधिक केस पेंडिंग**

**एससी आयोग में डेढ़ सौ से अधिक प्रकरण लंबित**

**पिछड़ा वर्ग आयोग में 35 प्रकरण लंबित**

**छत्तीसगढ़ में 95 पिछड़ी जातियों में 67 ही केंद्रीय सूची में शामिल**

**ये भी थे मौजूद**

**ओबीसी आयोग में शिकायत के बाद शिक्षक को मिला रुका वेतन**

रायपुर। कन्या प्रयास विद्यालय गुढ़ियारी के अभिनव सोनी ने मैट्रिक्स जी एकेडमी संस्थान रायपुर के संचालक राजेश बोर्डे के विरुद्ध उनका ढाई लाख रुपए वेतन रोके जाने की शिकायत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में की थी। इस शिकायत के बाद आयोग ने प्रकरण में सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आयोग ने राजेश बोर्डे को शैक्षणिक कार्य की रोकी गई राशि को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया। इस आदेश तहत राजेश बोर्डे ने बकाया वेतन डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया।

नवभारत Rajdhani - 18 Jan 2025 - 18rai6 epaper.navabharat.news

# पिछड़ा वर्ग आयोग की पहल पर मिली नौकरी और मुआवजा

**सुनवाई के बाद कई प्रकरणों का निराकरण**

नवभारत रिपोर्टर । रायपुर।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया। एक प्रकरण में क्रीमीलेयर मानकर दस्तावेज सत्यापन अमान्य किए जाने का निराकरण कर शासन के मापदंडों से अवगत कराया। जिससे आवेदक को पिछड़ा वर्ग की पात्र सूची में शामिल कर नौकरी प्रदान की। वहीं आयोग की पहल पर एक प्रभावित को मुआवजा मिला। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद की मौजूदगी में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई हुई। इसमें चार प्रकरणों का निराकरण कर आवेदकों को राहत प्रदान की गई। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु पंकज चन्द्राकर इंदिरा गांधी कृषि विवि द्वारा आयोजित काउंसलिंग में शामिल हुए। वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक होने के आधार पर क्रीमीलेयर मानकर दस्तावेज सत्यापन में अमान्य कर दिया गया। पंकज ने पिछड़ा वर्ग आयोग में आवेदन प्रस्तुत किया। आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमिलेयर (जाति प्रमाण पत्र) निर्धारण करने संबंधी राज्य सरकार के मापदंड के संबंध में विवि को अवगत कराया गया।

**वेतन और जाति प्रमाण पत्र शीघ्र बना-** रायगढ़ निवासी नागेन्द्र पटेल ने केन्द्रीय स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था। आयोग ने अनुविभागीय अधिकारी को क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने निर्देश दिया था। निर्देश के परिपालन में आवेदक को तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसी तरह चिरमिरी निवासी श्रवण कुमार साहू ने बालक प्रयास विद्यालय सड्डू में शैक्षणिक कार्य के लिए राजेश बोर्डे मैट्रिक्स जी एकेडमी संस्थान द्वारा वेतन भुगतान नहीं करने की शिकायत की थी। आयोग की पहल पर श्रवण को डीबीटी के माध्यम से 2 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान एकेडमी द्वारा किया गया।

**ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा**

रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है। कैबिनेट मंत्री दर्जा का आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

**...दीय जाति जनगणना सुधारने अभियान जारी**
**...दय और निषाद समाज प्रमुखों से हुई चर्चा**

**पानी व बांध वाले क्षेत्रों में मत्स्य टूरिज्म को देंगे बढ़ावा : नेताम**

नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला